


लेखों का वार्षिक विवरण

2019-20



पं. द्वारका प्रसाद मिश्र
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन
एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
झुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट ऑफिस खामरिया, जबलपुर- 482005 (म.प्र.) भारत



पं. द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
लेखों के वार्षिक वित्तीय खाते 2019–20
अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	तुलन पत्र	1
2	आय–व्यय खाता	2
3.	अनुसूची–1 समेकित कोष/कैपिटल फंड	3
4.	अनुसूची–1.1 पूजीगंत निधि	4
5.	अनुसूची–1.2 समेकित आंतरिक निकाय निधि	5
6.	उप अनुसूची–1.2 ए समेकित आंतरिक आय निधि	6
7.	उप अनुसूची–1.2 बी कैपिटल फंड योजना	6
8.	अनुसूची–2 निर्दिष्ट/चिह्नित/संस्था का प्राभूत कोष	7
9.	अनुसूची–3 चालू दायित्व एवं प्रावधान	8
10.	अनुसूची–3 ए.1 प्रायोजित परियोजनाएं	9–10
11.	अनुसूची–3 ए. 2 अन्य प्रायोजित परियोजनाएं	11
12.	अनुसूची–3 बी प्रायोजित फैलोशिन और छात्रवृत्ति	12
13.	अनुसूची–3 सी भारत सरकार से अप्रयुक्त अनुदान– योजना	13
14.	अनुसूची–4 समेकित अचल संपत्तियां	14
15.	अनुसूची–4 ए अचल संपत्तियां योजना	15–19
16.	अनुसूची–4 बी परियोजना निधि से अचल संपत्तियां	20
17.	अनुसूची–4 सी व्यावसायिक विकास निधि में से संपत्तियां	20
18.	अनुसूची–5 निर्धारित/ बंदोबस्ती धन से निवेश	21
19.	अनुसूची–6 अन्य निवेश	22
20.	अनुसूची–7 मौजूदा परिसंपत्तियां	23
21.	अनुसूची–8 ऋण, अग्रिम और जमा राशियां	24
22.	अनुसूची–9 शुल्क/अभिदान	25
23.	अनुसूची–10 अनुदान/संबिंदी (अविकल्पी अनुदान प्राप्त) योजना	26
24.	अनुसूची–11 निवेश से आय	27
25.	अनुसूची–12 अर्जित ब्याज	28
26.	अनुसूची–13 अन्य आय	29
27.	अनुसूची–14 पूर्व अवधि की आय	30
28.	अनुसूची–15 कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ स्थापना व्यय– योजना	31
29.	अनुसूची–15 ए कर्मचारी सेवानिवृत्त और सेवांत लाभ	32
30.	अनुसूची–16 शैक्षणिक व्यय	33
31.	अनुसूची–17 प्रशासनिक और समान्य व्यय	34
32.	अनुसूची–18 परिवहन व्यय योजना	35
33.	अनुसूची–19 सुधार एवं रखरखाव योजना	36
34.	अनुसूची–20 वित्तीय लागत	37
35.	अनुसूची–21 अन्य व्यय	38
36.	अनुसूची–22 पूर्व अवधि व्यय	39



क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
37.	अनुसूची–23 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	40–44
38.	अनुसूची–24 आकस्मिक देयताएं एवं खातों हेतु नोट	45–48
39.	प्राप्ति और भुगतान खाता	49–51
40.	एनपीएस टीयर 1 खाते का आर्थिक चिट्ठा	52
41.	एनपीएस टीयर 1 खाते का आय व्यय खाता	53
42.	एनपीएस टीयर 1 का प्राप्ति भुगतान खाता	54
43.	उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुदान (समेकित)	55–57
44.	उपयोगिता प्रमाण पत्र सामान्य अनुदान (समेकित)	58–60
45.	उपयोगिता प्रमाण पत्र सामान्य अनुदान (सामान्य श्रेणी)	61–63
46.	उपयोगिता प्रमाण पत्र सामान्य अनुदान (अनुसूचित जाति श्रेणी)	64–66
47.	उपयोगिता प्रमाण पत्र सामान्य अनुदान (अनुसूचित जनजाति श्रेणी)	67–69
48.	उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुदान – वेतन (समेकित)	70–72
49.	उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुदान – वेतन (सामान्य श्रेणी)	73–75
50.	उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुदान – वेतन (अनुसूचित जाति श्रेणी)	76–78
51.	उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुदान – वेतन (अनुसूचित जनजाति श्रेणी)	79–81
52.	उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुदान – पूँजीगत सम्पत्तियों का सृजन – समेकित	82–84
53.	उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुदान – पूँजीगत सम्पत्तियों का सृजन – सामान्य श्रेणी	85–87
54.	उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुदान – पूँजीगत सम्पत्तियों का सृजन – अनुसूचित जाति श्रेणी	88–90
55.	उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुदान – पूँजीगत सम्पत्तियों का सृजन – अनुसूचित जनजाति श्रेणी	91–93
56.	पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन	94–98



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

तुलन पत्र
31 मार्च 2020 तक

राशि रूपये में

निधियों के स्रोत	अनुसूचियां	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	विगत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
कार्पस/ कैपिटल निधि	1	342,25,37,234	344,19,78,533
नामित / निर्धारित / बंदोबस्ती कोष	2	0	0
वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	3	68,49,48,655	73,74,55,358
कुल		410,74,85,889	417,94,33,891
धन का उपयोजन			
अचल संपत्तियां	4		
मूर्त संपत्ति		306,66,49,855	66,51,40,884
अमूर्त संपत्ति		33,26,376	80,21,337
कैपिटल कार्य - प्रगतिशील		2,06,78,503	239,89,28,565
निवेशकों से निवेश / जमा राशि	5		
दीर्घावधि		0	0
लघु अवधि		0	0
निवेश-अन्य	6	0	0
वर्तमान संपत्ति	7	46,81,43,412	68,96,19,107
क्रण, अग्रिम और जमा	8	54,86,87,743	41,77,23,997
कुल		410,74,85,889	417,94,33,891
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	23		
आकस्मिक देयताएँ व खातों के लिए नोट	24		

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

आय और व्यय खाता
अवधि 01/04/2019 से 31/03/2020 तक

राशि रूपये में

	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	विगत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
ए आय				
शैक्षणिक प्राप्तियां	9	11,36,47,641	10,15,12,027	
अनंदान / सब्सिडी	10	23,59,07,717	24,61,84,482	
आंतरिक निगम से क्रृष्ण	1.2	15,87,08,629	9,10,69,761	
निवेश से आय	11	2,36,72,407	1,41,68,244	
अर्जित ब्याज	12	18,37,775	3,36,276	
अन्य आय	13	31,63,238	23,31,195	
पूर्व अवधि आय	14	30,69,133	31,69,650	
कुल (ए)		54,00,06,540	45,87,71,634	
बी व्यय				
कर्मचारियों के भृगतान और लाभ (स्थापना व्यय)	15	17,70,98,823	14,96,04,472	
शैक्षणिक खर्च	16	8,18,92,119	6,60,07,968	
सहायक और सामान्य व्यय	17	12,11,46,387	11,41,39,657	
परिवहन खर्च	18	35,12,533	25,56,705	
मरम्मत और रख रखाव	19	1,09,49,552	49,30,894	
वित्तीय खर्च	20	16,932	14,547	
मूल्यहास	4	21,86,08,714	4,65,86,578	
अन्य खर्च	21	9,512	0	
पूर्व अवधि व्यय	22	22,63,414	0	
कुल (बी)		61,54,97,985	38,38,40,821	
आय से अधिक व्यय (ए-बी) की शेष राशि		(7,54,91,445)	7,49,30,813	
संस्थान कैपिटल निधि में स्थानांतरित				
	9			
	11			
	12			
आंतरिक आय	13	14,23,21,061	11,83,47,741	
भवन निधि		0	0	
अधिशेष (घाटा) जिसे सामान्य निधि में स्थानांतरित किया गया		14,23,21,061	11,83,47,741	
अधिशेष (घाटा) जिसे संचित निधि में स्थानांतरित किया गया		(21,78,12,507)	(4,34,16,928)	
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	23			
आकास्मिक देयताएं और खातों के लिए नोट	24			

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची –1 समेकित कोष/पूँजी निधि

राशि रूपये में

विवरण	अनुसूचियां	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019–20)	पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018–19)
वर्ष का प्रारंभिक शेष		344,19,78,533	300,84,94,171
वृद्धि : आंतरिक संग्रह निधि में अंशदान	1.2	14,23,21,061	11,83,47,741
कमी : आंतरिक कोष से संस्थान को ऋण (अनुदान की कमी को पुरा करने के लिए)	1.2	(15,87,08,629)	(9,10,69,761)
वृद्धि : अनुदान भारत सरकार से पूँजी व्यय के लिए उपयोग सीमा तक	1.1	19,80,25,363	40,24,31,719
वृद्धि : निर्धारित कोष से संपत्ति खरीदी	1.2B	1,67,33,411	4,71,91,590
वृद्धि : प्रायोजित परियोजना के बाहर संपत्ति खरीदी जहां स्वामित्व संस्था में हो		0	0
वृद्धि : दान आस्तियां / उपहार से प्राप्त		0	0
कमी: परिसंपत्ति पर मूल्य निर्धारण		0	0
वृद्धि : अन्य परिवर्धन (आईडीएफ एवं डीडीएफ)	1.2A	0	0
वृद्धि : व्यय से आय की अधिकता, आय—व्यय से स्थानांतरित		0	0
कमी : वर्ष के दौरान निधि से बनाई गई संपत्तियों का अपलेखन / मूल्यह्यास		(21,78,12,507)	(4,34,16,928)
वर्ष का अंतिम शेष		3,42,25,37,234	3,44,19,78,533

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची 1.1 – पूँजीगत निधि

राशि रूपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	विगत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
वर्ष का प्रारंभिक शेष	312,21,95,756	276,31,80,966
वृद्धि : आंतरिक संग्रह निधि में अंशदान	19,80,25,363	40,24,31,719
कमी : संपत्ति मूल्यांकन आधिक्य	0	0
आय व्यय खाते से स्थानांतरित घाटा	(21,78,12,507)	(4,34,16,928)
वर्ष का अंतिम शेष	3,10,24,08,612	3,12,21,95,756

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची – 1.2 समेकित आंतरिक निधि

राशि रूपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
वर्ष का प्रारंभिक शेष	31,97,82,775	24,53,13,205
वृद्धि : आंतरिक निधि में योगदान	14,23,21,061	11,83,47,741
कमी : आंतरिक कोष से संस्थान को ऋण	(15,87,08,629)	(9,10,69,761)
वृद्धि : निर्धारित कोष से संपत्ति खरीदी	1,67,33,411	4,71,91,590
वृद्धि (कमी) : आय व्यय खाते से स्थानांतरित शुद्ध आय / (व्यय) का शेष	0	0
वृद्धि : आई डी एफ / डी डी एफ	0	0
वर्ष के अंत में शेष	32,01,28,619	31,97,82,775

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची –1.2 (ए) समेकित आंतरिक निकाय निधि

राशि रूपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
वर्ष का प्रारम्भिक शेष	25,33,71,126	22,60,93,146
वृद्धि : सामान्य निधि में योगदान	14,23,21,061	11,83,47,741
कमी : संस्थान को ऋण (अनुदान की कमी को पुरा करने के लिए)	(15,87,08,629)	(9,10,69,761)
वृद्धि : ऋण का पुर्णभुगतान	0	0
वृद्धि (कमी) : आय व्यय खाते से स्थानांतरित शुद्ध आय / (व्यय) का शेष	0	0
वृद्धि : आईडीएफ / डीडीएफ	0	0
वर्ष के अंत में शेष	23,69,83,559	25,33,71,126

उप अनुसूची –1.2 बी कैपिटल फंड परियोजना

राशि रूपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
वर्ष का प्रारम्भिक शेष	6,64,11,650	1,92,20,060
वृद्धि : पूँजी निधि में योगदान	1,67,33,411	5,32,24,823
वृद्धि (कमी) : आय व्यय खाते से स्थानांतरित शुद्ध आय / (व्यय) का शेष	0	(60,33,233)
वर्ष के अंत में शेष	8,31,45,061	6,64,11,650

(एस. डी. गड्डेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गड्डेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची 2 निर्दिष्ट/चिन्हित/संस्था का प्राभूत कोष

राशि रूपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019–20)	पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019–20)
ए	वर्ष का प्रारंभिक शेष	0	0
बी	निधियों को योगदान		
	1. दान/ अनुदान	0	0
	2. निधि से बनाए गए निवेश पर आय (परियोजना बचत खातों पर ब्याज)	0	0
	3. परियोजना अग्रिम	0	0
	4. संस्थान की आंतरिक निधि से अग्रिम	0	0
	योग (ए + बी)	0	0
सी	निधियों का उपयोग		
	1. पूँजीगत व्यय		
	2. राजस्व व्यय		
	(ए) वापसी/समायोजन	0	0
	(बी) किराया	0	0
	(सी) अन्य सतत व्यय	0	0
	3. परियोजना व्यय	0	0
	4. आय-व्यय खाते को अंतरण	0	0
	योग (सी)	0	0
	वर्ष के अंत में शेष (ए. बी .सी)	0	0

Excellence

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

Excellence

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

S. Jain

(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
अनुसूची 3 – चालू दायित्व एवं प्रावधान

राशि रूपये में

ए	विवरण	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
		(वित्तीय वर्ष 2019-20)	पूर्व वर्ष	
१	चालू दायित्व			
२	कर्मचारियों की जमाराशि	0	0	
३	छात्रों से जमा			
	ए) देय सुखका राशि			
	बी) अधिक फीस वर्ष के लिए प्राप्त	66,30,506	75,39,506	
	सी) अतिरिक्त शुल्क वापसी	0	2,71,37,826	
	डी) छात्र अन्य देयताएं	0	1,19,36,414	
	ई) छात्र कल्याण कोष	11,58,000	11,58,000	
४	विविध लेनदार	32,75,500	1,10,64,006	27,53,500 5,05,25,246
	ए) वर्त्तु एवं सेवाएं			
	बी) निर्माण	0	82,17,989	
	सी) अन्य	28,33,894	28,18,576	
	डी) सहायक लेनदारी खाते	0	0	
५	जमा—अन्य (ईएमडी सुरक्षा जमा) सहित	0	0	81,67,549 81,67,549
६	वैधानिक देनदारियां (जीपीएफ, टीडीएस, शौचालय टैक्स, सीपीएफ, जीआईएस, एनपीएस):			
	ए) नई पेंशन अंशदान			
	बी) जीपीएफ देय (अन्य संस्थान)	1,23,887	12,972	
	सी) देय जीआईएस	5,000	0	
	डी) एलआइसी प्रीमियम	600	0	
	ई) जी एस एल आई एस	21,468	21,468	
	एफ) अतिवेद्य	(9,089)	8,791	
	जी) जी एस टी	0	0	
	एच) आयकर	(6,87,375)	4,36,548	
	आई) औद्योगिक कर	22,29,762	11,97,000	
	जो) अन्य	3,75,049	85,997	
		0	20,59,302	0 17,62,776
७	अन्य चालू दायित्व			
	ए) वेतन			
	बी) प्रवर्तक परियोजनाओं के पेटे प्राप्ति		0	
	सी) प्रायोजित शोधवृत्ति एवं छात्रतुल्य से प्राप्ति	3,68,07,388	4,19,08,283	
	डी) अप्रयुक्त अनुदान (एमएचआरडी)	0	6,000	
	ई) अंतरिक्क कोष से ऋण	0	16,98,42,519	
	एफ) प्रोजेक्ट ऑफरहेड	43,37,34,568	27,50,25,940	
	१) प्रोजेक्ट खाते से प्राप्त हितकारी निधि			
	२) परियोजना खाते से प्राप्त सेंट्रल प्रशासनिक निधि	0	4,66,387	
	३) परियोजना खाते से प्राप्त डिस्प्लोन विकास निधि	0	1,08,053	
	४) परियोजना खाते से प्राप्त संस्थान विकास निधि	0	18,38,050	
	५) परियोजना के खाते की मियाद	0	71,98,126	
	६) परियोजना से लाभ	0	14,734	
	७) पोर्डे देय	0	19,765	
	जी) अन्य निधियां (केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति)	29,16,643	25,19,722	
	एच) पुस्तकालय देनदारियां	6,60,677	32,81,177	
	आई) सहायक खातों की संतुलित निधि (अनुसूचि ३ डी)	0	0	
		0	47,41,19,276	6,81,87,618 57,04,16,374
योग (ए)				
बी	प्रावधान		49,00,76,477	64,20,89,061
१.	कर हेतु			
२.	येव्युटी	0	0	
३.	आधिवार्षिकी / पेन्शन	3,29,48,416	3,29,48,416	
४.	संचयी अवकाश नकदीकरण	0	0	
५.	द्रेड वारंटीज / दावे	6,58,66,416	5,76,60,199	
६.	देय व्यय	0	0	
ए.	खर्च के लिए देयताएं			
	बी) अकेशण देनदारियां	0	44,94,341	
	सी) सहायक / एमसीएस भूगतान योग्य	1,44,410	2,60,340	
	डी) इंसाल प्रबंधन देनदारियां	3,000	3,000	
	ई) छात्र लाभ खाता भूगतान	0	0	
	एफ) देय छात्रवृत्ति	0	0	
७	पूर्व छात्र संगठन सदस्यता अभियान	12,000	0	
८	अन्य कानूनी देयताएं	7,36,500	0	
९	परियोजना परामर्श देय	0	0	
योग (बी)		0	0	
			9,97,10,742	9,53,66,296
	कुल योग (ए + बी)		58,97,87,219	73,74,55,357

Excellen
(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

Excellen
(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

Excellen
(संजीव जैन)
निदेशक



पांडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
अनुसूची – ३५.१ प्रायोजित परियोजनाएँ

संक्र.	परियोजना का नाम	प्रारम्भिक जमा	वर्ष के दोरान / अनुदान / अग्रिम	ब्याज / अन्य प्राप्तियाँ	कुल उपलब्ध कोष	पूँजीगत व्यय	राजस्व व्यय	राशि वापरी / समायोजित	कुल व्यय	आंतिम शेष	राशि रूपये में
1	स्वचालित प्रणाली वर्टिकल लैब (श्री. तनुजा शेरडे)	9,00,308	0	35,585	9,35,893	0	0	0	0	0	9,35,893
2	विनिर्माण प्रक्रिया वर्टिकल लैब (श्री. वी.के. गुप्ता)	9,91,099	0	39,177	10,30,276	0	0	0	0	0	10,30,276
3	लोक सेवा गांवरटी अधिनियम – 2010 का प्रभाव एवं मूल्यांकन (सरकार की नीति का प्रभाव एवं विश्लेषण) (श्री. वी.के. गुप्ता)	63,895	0	2,534	66,429	0	0	0	0	0	66,429
4	संरक्षन शीट फॉर्म्स के माध्यम से मुक्त फॉर्म्स घटक के फैब्रिकेशन की विकास प्रक्रिया (श्री. पुनित दंडन)	1,63,811	0	6,464	1,70,275	0	0	0	0	0	1,70,275
5	चिप्स टू सिस्टम डिजाइन हेतु विशेष प्रबंधक विकास कार्यक्रम (श्री. पी.ए.कॉ.डेकर)	10,07,504	17,68,000	73,339	28,48,843	0	8,58,375	0	8,58,875	0	19,89,368
6	कॉम्पैक्ट, वाइडबैंड एवं उच्च लाम्प अवेदनों के लिए फ्रैंकरल आवधित डिलीवरीफ्रॉक रेसोनेट ऐटेनास (जी. बी. मुखर्जी)	42,229	0	428	42,657	0	0	42,229	42,229	0	428
7	DIC हब / स्पॉक मोडल की स्थापना के लिए राशि पहल	22,50,232	10,00,000	88,968	33,39,200	2,88,074	2,92,504	3,64,033	3,64,033	0	23,94,589
8	अन्टा लो पावर एन्टिक्रेशन के लिए लैटोवायर फ्रैक्ट्रॉपिक रूप से डाएट हेटोरे क्लटरिशन टनल फीर्नूट फ्रैक्टरेट ऐन्सिस्टर (TFET) का उपयोग करते हुए सिम्मा कैल्टा मैंडेयलेट का कार्यान्वयन	17,23,160	0	66,556	17,89,716	0	75,806	0	75,806	0	17,13,910
9	कम जटिलता के साथ मल्टीलायररहित मल्टीट्रैट फिल्टरबैक का डिजाइन और विशेषण	1,43,666	3,00,000	8,291	4,51,957	0	2,21,200	0	2,21,200	0	2,30,757
10	उच्च संवेदनशील एमर्गेंसी पीओरेसिस्टर आइकॉर्कलीवर मैसर	3,83,499	0	14,089	3,97,588	0	1,31,799	0	1,31,799	0	2,66,789
11	कृत्रिम जीवन के लिए कार्यात्मक व्हिकिलोटाइड का कम्प्यूटेशनल हिंजाइन और विशेषण	3,62,752	5,00,000	10,978	8,73,730	0	5,00,595	0	5,00,595	0	3,73,135
12	गोलानीयना बढ़ाने याचय वायोस्ट्रैक्पेरिशिल प्रक्रिया	2,98,917	6,52,617	11,674	9,63,208	1,87,391	5,49,897	0	7,37,288	0	2,25,920
13	लिपा विनिर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय काल पक्षीय यूडिशिल प्रक्रिया का विकास	75,94,951	23,07,841	1,99,102	1,01,01,894	73,19,723	8,48,073	0	81,67,796	0	19,34,098
14	कंप्यूटर कोड प्रभितीने के लिए विकेन्ट इन्ट्याप (FP) प्रतिधारण के लिए याचिक माइक्रोडिजिट विकास	85,189	0	3,334	88,523	0	0	0	0	0	88,523
15	छतरी और छट्ठी डिजाइन पर युजर्नर्केस अव्ययन के लिए उत्पाद डिजाइन में प्रयोगिकी हस्तक्षेप	69,922	3,00,000	3,825	3,73,747	0	3,36,854	29,277	3,66,131	0	7,616
16	लगत प्रभावी माइक्रोड्रेव एसोबर के विकास के लिए हेटर्जीवत्स इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट	4,33,806	3,28,510	20,597	7,82,913	0	5,55,142	0	5,55,142	0	2,27,771
17	कून्टन शारन अधिकार	1,86,829	0	1,999	1,88,828	0	1,59,960	26,869	1,86,829	0	1,999
18	FIST कार्यक्रम	0	0	2,177	2,177	0	0	0	0	0	2,177
19	एयरबोत अनुप्रयोगों के लिए अनुरूप चरणबद्ध एटीना के डिजाइन,	76,77,566	7,50,000	1,82,600	86,10,166	68,05,998	0	68,05,998	68,05,998	0	18,04,168
20	सिस्टमशील और विकास	3,63,762	7,36,073	23,671	11,23,506	0	4,86,025	1,07,315	5,93,340	0	5,30,166



राशि रूपये में

21	गैलियम अंडरसाइड में विलिंग्सन प्रशासन	4,487	2,93,512	33,676	3,31,675	0	1,36,296	32,000	1,68,296	1,63,379
22	डिजाइन के लिए रेजिट्री संसाधन केंद्र (NRC)	10,01,467	0	41,315	10,42,782	0	0	0	0	10,42,782
23	रियल एयरलाइन में एयरलाइन कंडॉल बोर्डिंग निवास	5,93,940	0	19,049	6,12,989	0	4,29,887	0	4,29,887	1,83,102
24	विलिंग्सन साइडलाइट और 3-5 त्रैतीय सरचाटा-आधारित सकार सौर काशिकाओं का अनुकूल	3,99,739	4,92,910	14,073	9,06,722	83,995	3,83,674	0	4,67,669	4,33,053
25	वाइस्ट्रिक्स एम्परियम आधारित प्रसारण के लिए गैर-क्लॉनिंग के लिए प्राणी का FPGM प्रोटोटाइप	15,94,769	0	47,223	16,41,992	4,29,850	2,99,718	0	7,29,568	9,12,424
26	बायोकॉन्वेशन के माध्यम से वस्त्राचारी तैयारी का मूल्य जीवों का गणितीय मॉडलिंग	6,990	2,20,000	2,929	2,29,919	1,99,115	20,000	0	2,19,115	10,804
27	क्षार-अम्गन बैटरी के लिए इन्हेन्यूड समझी के रूप में 2-डी mitrides के प्रति विद्युत ऊर्जा	8,69,340	0	22,446	8,91,786	2,59,501	5,81,710	0	8,41,211	50,575
28	धातु एविटिव विनियाम के लिए इंडियन-जॉडवक्षन आधारित मस्टरीयाल डिजाइन एवं एप्पल का विकास	27,26,390	0	91,236	28,17,626	2,95,815	3,97,244	0	6,93,099	21,24,567
29	मैट्रिक्स-इंटर्फ़ेस यांच एप्प सामग्री के जटिल झाँकों के हाइड्रिड मॉडल बनाने के लिए डूम्परिक्स मॉडलिंग और तार तैयारी का विकास	7,38,798	0	19,407	7,58,205	0	5,69,493	0	5,69,493	1,88,712
30	बिन्दुभास कन्वर्निंग्सन टूल्स के माध्यम से महिलाओं को सशर्तत बनाना	8,66,259	0	33,404	8,99,663	0	1,32,881	109	1,32,990	7,86,673
31	गैर-वाण्याल मार्गक आवेदन के लिए गैलियम अंगूष्ठाइड पतली फिल्मों में प्रतिरोधक विवरिंग का एवं यानन्द	1,437	43,563	332	45,332	0	0	0	0	45,332
32	उत्तराधीन एकल में गैलियम अंगूष्ठाइड विनान सैचानों का मजबूत करने के लिए कम लगात वाले विनान प्रयोगों / प्रदर्शन का विकास	0	0	446	446	0	0	0	0	446
33	बायोकॉन्वेशन के माध्यम से बाहरी योडियेंट के तहत सक्रिय तेपर्की संकेत-अयोननों के मॉडलिंग निवास	0	9,37,421	15,785	9,53,206	2,99,523	3,21,814	0	6,21,337	3,31,869
34	गोणितीय मार्गालिंग के वैनानों के और अंतर्यागिक अनुप्रयोग के माध्यम से वायोकॉन्वेशन का महायाता निदान	0	5,47,000	10,234	5,57,234	82,000	11,742	0	93,742	4,63,492
35	महायातीय प्रवानगान और राजा प्रवर्तन का गोणितीय और कम से कम इनवेस्टिव तौर-तरीकों द्वारा कठाना कर तिया लक्षणों का उपयोग कर कंपन्यों की महायाता निदान प्रणाली के माध्यम से रोगों की शावेल्यांगी	0	13,99,940	43,858	14,43,798	0	2,30,000	0	2,30,000	12,13,798
36	कम से कम इनवेस्टिव और गैर-इनवेस्टिव तौर-तरीकों द्वारा कठाना कर तिया लक्षणों का उपयोग कर कंपन्यों की महायाता निदान प्रणाली के माध्यम से रोगों की शावेल्यांगी	0	10,00,000	11,937	10,11,937	0	0	0	0	10,11,937
37	विप्रत्रिक्यक यक्षण-अंगूष्ठाइड के लिए sp2 / sp3 लैट्यूड की जाय कार्यालयक रूप में GaN नेटवर्क	0	17,40,090	16,384	17,56,384	14,20,650	82,071	0	15,02,721	2,53,663
38	नियर-टेट थ्रॅप मंटेयर प्रारंभिक के लिए मूल्ती अंगूष्ठाइट मार्गालिंग एवं सेटअप का विकास	0	15,76,860	11,214	15,88,074	0	1,37,559	0	1,37,559	14,50,515
39	3-डी-प्रिंट हाइड्रोफिलिक स्टेनोल के भूतल सशीधन का उपयोग करके हाइड्रोफिलिक पार्ड विनियाम	0	15,97,700	11,362	16,09,062	0	3,05,700	0	3,05,700	13,03,362
40	सम्भव III-V पन क्याटोनर्नो सेमीक्रोडर क्याटोन ऑप्टिक्स घनत्व कार्यालयक सेटअप के लिए इन्हेन्यूड सम्भव और अंटिकॉल गणों पर अंटियन	0	5,40,000	0	5,40,000	0	0	0	0	5,40,000
	Total	3,35,46,713	1,90,31,947	12,41,698	5,38,20,358	1,76,71,635	90,56,519	6,01,832	2,73,29,986	2,64,90,372

(संजीव जेन)
निदेशक

(एस. डी. गडेकर)
कार्यालयी कुलसचिव

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)



पंडित हारका प्रसाद मिश्र मारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
अनुसूची – ३५.२ अन्य प्रायोजित परियोजनाएँ

संक्र.	परियोजना का नाम	प्रारंभिक जमा अनुदान / आग्रह	वर्ष के दौरान दौरान प्रारंभिक जमा अनुदान / आग्रह	व्याज / अन्य प्रापियां	कुल उपलब्ध कोष	पूँजीगत व्यय	राशि दौरान व्यय / समाप्तिगत	राशि वापरी समाप्तिगत	कुल व्यय	अतिम शेष	राशि लाखों में
1	विद्युती छावों के सीधे प्रवेश (डीएसए)	2,75,912	0	10,942	2,86,854	0	0	0	0	2,86,854	
2	परमशर्त देय (लोटेन्स)	10,64,590	4,80,000	23,308	15,66,998	0	14,26,920	0	14,26,920	1,41,178	
3	परमशर्त व्यवितरणी के गत्ता	20,097	798	0	20,895	0	0	0	0	20,895	
4	परमशर्त (पी के डैन)	2,70,351	62,000	11,080	3,45,431	0	62,000	0	62,000	2,81,431	
5	एप्लाईन कैम्पस और आटोमिकिया लैब एसआईए के लिए	93,453	0	0	93,453	0	25,000	0	25,000	68,453	
6	इलेक्ट्रॉनिक्स और आटोमिकिया लैब एसआईए के लिए	12,43,130	24,23,596	65,517	37,32,243	2,44,601	25,75,549	0	28,20,250	9,11,993	
7	सीधीपर्याप्त अवधारणा योजना	52,886	0	2,098	54,986	0	0	0	0	54,986	
8	परियोजना / पी कॉर्प / डीएसईओ / 2017-18	16,246	84,292	2,231	1,02,869	0	35,141	0	35,141	67,728	
9	फैक्ट्रा / बीकैरी / 2018-19	4,58,281	0	0	4,58,281	0	0	0	0	4,58,281	
10	परियोजना / सपा / आईएनसीआरएस / वी के एन्टा / 2018-19	36,819	0	1,459	38,273	0	0	0	0	38,273	
11	परियोजना / कार्यशाला / पी खनना / सीड-सीवीआईपी / 2018-19	2,91,319	0	11,553	3,02,872	0	0	0	0	3,02,872	
12	परियोजना / कार्यशाला / पी खनना / सपकै अनुदान 2018-19	40,847	0	0	40,847	0	20,000	0	20,000	20,847	
13	हे और अडिसीटी अकादमी	1,97,197	1,61,00,000	2,66,705	1,65,63,902	0	1,40,54,489	0	1,40,54,489	25,09,443	
14	क्यामर्क्स आईटीटीई	42,74,574	7,07,000	1,62,136	51,43,710	0	22,87,117	0	22,87,117	28,56,533	
15	स्टारटअप केंद्र	3,860	0	1,590	5,450	0	0	0	0	5,450	
16	परमशर्त देय (एच. चैलन्ड्रुडे)	14,006	0	533	14,539	0	0	0	0	14,539	
17	CCMT 2019	0	3,64,334	0	3,64,384	0	2,76,384	0	2,76,384	87,400	
18	DEW 2020	0	2,85,800	0	2,85,800	0	2,85,900	0	2,85,900	0	
21	CICI 2018	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	
22	DEV 2018-19	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	
24	परमशर्त देय (डी. अयोन सीना)	0	85,000	0	85,000	0	85,000	0	85,000	0	
25	परमशर्त देय (डी. मनोज कमार बाजपाई)	0	14,91,000	3,879	14,94,879	0	2,37,491	0	2,37,491	12,57,388	
26	परमशर्त देय (डी. मनित कमार जैन)	0	8,80,000	12,624	8,92,624	0	0	0	0	8,92,624	
27	परमशर्त देय (ए. अपाराजिता अमृता)	0	2,54,237	4,423	2,56,660	0	2,52,271	0	2,52,271	6,389	
28	परमशर्त देय (डी. हरजा श्रीउमोदी)	0	6,356	0	6,356	0	6,356	0	6,356	0	
29	परियोजना/डी. वी. मस्कुरा/TA/CSERB/2019-20	0	1,78,520	0	1,78,520	0	1,78,320	0	1,78,320	0	
30	परियोजना/डी. वी. मस्कुरा/TA/CSERB/2019-20	0	29,717	0	28,717	0	28,717	0	28,717	0	
31	परियोजना/पी. एन्ड्रूज/TA/ITSERB/2019-20	0	1,27,658	0	1,27,658	0	1,27,558	0	1,27,558	0	
32	परमशर्त देय (डी. अनिल कमार)	0	25,424	0	25,424	0	0	0	0	25,424	
	कुल	83,61,570	2,35,84,832	5,80,278	3,25,26,730	2,44,601	2,19,65,113	0	2,22,09,714	1,03,17,016	

(संजीव जैस्वल)
निदेशक

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव



पांडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संश्नान, जबलपुर

अनुसूची 3 (बी) प्रायोजित फैलोशिप और छात्रवृत्ति

विवरण	01.04.2019 को प्रारंभिक जमा		वर्ष 2019–20 के दौरान हस्तांतरण		31.03.2020 को अंतिम शेष राशि रूपये में	
	सी. आर.	डी. आर.	सी. आर.	डी. आर.	सी. आर.	डी. आर.
1 सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय	32,81,177	0	10,91,675	37,12,175	6,60,677	0
कुल	32,81,177	0	10,91,675	37,12,175	6,60,677	0

Signature

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

Signature

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव
निदेशक

(संजीव जैन)

निदेशक

Signature

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
अनुसूची –3 सी – भारत सरकार से अप्रयुक्त अनुदान – योजना

राशि रूपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	विगत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
ए योजना अनुदान :— भारत सरकार			
शेष अग्रेनित	16,98,42,519	2,75,23,724	
वृद्धि वर्ष के दौरान प्राप्तियां	26,40,90,560	79,09,34,997	
वृद्धि परिसंपत्तियों पर मूल्य निर्धारण	0	0	
कुल (ए)	43,39,33,079	81,84,58,721	
बी आंतरिक कोष से ऋण	15,87,08,629	0	
कुल (बी)	15,87,08,629	0	
सी फंड उपलब्ध (ए + बी)	59,26,41,708	81,84,58,721	
कम सैलरी से ऋण की वापसी	0	0	
कम पूँजीगत व्यय के लिए उपयोग	19,80,25,363	40,24,31,719	
अनुदान से उपयोग	19,72,44,747		
ऋण से उपयोग	7,80,616		
कम राजस्व व्यय के लिए उपयोग	39,46,16,346	24,61,84,482	
अनुदान से उपयोग	23,66,88,333		
ऋण से उपयोग	15,79,28,013		
कुल (डी)	59,26,41,709	64,86,16,201	
शेष आगे बढ़ाया (सी-डी)	0	16,98,42,519	

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
अनुसूची- 4 (समेकित अचल संपत्तियां)– योजना

राशि लक्षणे मे

क्र. सं.	विवरण	सक्रिय क्षेत्र			मूलधनात्			नेट क्षेत्र			
		वर्ष की शुरुआत में लागत / मूलधन	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के अंत में लागत / मूलधन	वर्ष की शुरुआत में के रूप में	वर्ष के लिए	समयोजन	वर्ष के दौरान कठैती	वर्ष के अंत तक चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में	
1	2	01-Apr-19	(2019- 20)	3	01-Mar-20	5	01-Apr-19	6	(2019- 20)	7	(2019- 20)
	अचल संपत्तियां										
	I) ग्रंथि संपत्तियां										
	ए) संस्थान के मध्य खाते	108,76,11,534	256,21,49,617	0	364,97,61,151	49,04,93,132	16,81,00,809	0	0	65,85,83,941	289,11,76,610
	(4 ए अनुसूची मे देखें)										
	बी) परियोजना निधि मे से अचल संपत्तियां	7,59,91,196	1,67,33,411	0	9,27,24,607	95,79,547	0	0	0	95,79,547	8,31,45,060
	(4 बी अनुसूची मे देखें)										
	सी) व्यावसायिक विकास निधि मे से संपत्तियां	27,42,244	0	0	27,42,244	21,50,884	2,91,045	0	0	24,41,929	2,81,815
	(4 सी अनुसूची मे देखें)										
	चालू वर्ष मे कुल (।)	116,63,44,974	257,88,83,028	0	374,52,28,002	50,22,13,563	16,83,91,854	0	0	67,06,05,417	307,46,03,485
	II) अमर्ति संपत्तियां										
	ए) संस्थान के मध्य खाते	5,62,18,276	0	0	5,62,18,276	5,25,36,717	0	0	0	5,25,36,717	36,31,559
	(4 ए अनुसूची मे देखें)										
	बी) परियोजना निधि मे से अचल संपत्तियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4 बी अनुसूची मे देखें)										
	सी) व्यावसायिक विकास निधि मे से संपत्तियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4 सी अनुसूची मे देखें)										
	चालू वर्ष मे कुल (। ।)	5,62,18,276	0	0	5,62,18,276	5,25,36,717	0	0	0	5,25,36,717	36,31,559
	III) क्षेत्रिक कर्ता मे प्रति										
	ए) संस्थान के मध्य खाते	239,89,10,065	25,81,462	238,33,06,782	1,81,84,745	0	0	0	0	1,81,84,745	239,89,10,065
	(4 ए अनुसूची मे देखें)										
	बी) परियोजना निधि मे से अचल संपत्तियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4 बी अनुसूची मे देखें)										
	सी) व्यावसायिक विकास निधि मे से संपत्तियां	18,500	0	18,500	0	0	0	0	0	18,500	18,500
	(4 सी अनुसूची मे देखें)										
	चालू वर्ष मे कुल (। । ।)	239,89,28,565	25,81,462	238,33,06,782	1,82,03,245	0	0	0	0	1,82,03,245	239,89,28,565
	चालू वर्ष मे कुल (। । । + । । ।)	362,14,91,815	258,14,64,490	238,33,06,782	381,96,49,523	55,48,30,290	16,83,91,854	0	0	72,31,92,134	309,64,38,289

(संजीव जैन)
निदेशक

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ते.)



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुमूली— 4 ए अचल संपत्ति-योजना

क्र. सं.	निवास	सामान् छाप			मुद्रावाहन			गणि तथा नं.		
		वर्ष की शुरुआत में लागत / मूलधन	वर्ष के अंत में लागत / मूलधन	वर्ष के दौरान परिवर्तन कटाई	वर्ष की अंत में लागत / मूलधन	वर्ष के लिए रुप में	सामान्याचन	वर्ष के दौरान कटाई	चालू रुप के अंत में पिछले वर्ष के अंत में	नट लाभ
1	01-Apr-19 निवास वर्तमान	01-Apr-19 3	01-Apr-20 4	(2019-20)	31-Mar-20 5	01-Apr-19 7	(2019-20)	31-Mar-20 9	(2019-20)	31-Mar-19 14
1) इचलत अवृत्ति										
2) रिटायर्मेंट	2									
3) आर्थिक विवर										
4) विवाह और साइट विवास	1									
5) अवृत्ति सौदाएँ द्वारा दिए गए बदलाव	19,53,976	19,53,976	0	0	19,53,976	0	0	0	0	1
6) उम्रों वालों वाले में शेयर	7,77,765	7,77,765	0	0	7,77,765	0	0	0	0	19,53,976
7) अवृत्ति कानूनी वाले में शेयर	12,14,053	12,14,053	0	0	12,14,053	84,984	24,281	0	0	10,04,785
8) अवृत्ति-कानूनी वालों के लिए विवाह	78,12,327	78,12,327	0	0	78,12,327	47,56,734	1,56,247	0	0	49,12,981
9) अप्रैल तक की अवृत्ति वाले	2,79,285	2,79,285	0	0	2,79,285	67,032	5,586	0	0	20,99,246
10) दैवत की देवताएँ	82,59,320	82,59,320	0	0	82,59,320	21,12,544	1,65,186	0	0	22,77,730
11) आर्थिक विवर	23,94,749	23,94,749	0	0	23,94,749	5,50,755	7,77,765	0	0	59,81,590
12) अवृत्ति कानूनी विवर का विवाह	6,48,998	6,48,998	0	0	6,48,998	90,860	12,980	0	0	1,96,062
13) आर्थिक विवर का विवर	29,75,105	29,75,105	0	0	29,75,105	49,502	59,502	0	0	1,45,547
14) अवृत्ति कानूनी विवर	3,12,918	3,12,918	0	0	3,12,918	53,193	6,258	0	0	11,29,069
15) आर्थिक विवर में दैवत	10,68,736	10,68,736	0	0	10,68,736	1,92,375	21,375	0	0	21,3,750
16) अवृत्ति शेयर वाले का विवाह	1,26,609	1,26,609	0	0	1,26,609	22,783	2,532	0	0	9,42,708
17) आर्थिक विवर का विवर	1,60,023	1,60,023	0	0	1,60,023	27,200	3,200	0	0	10,23,556
18) अप्रैल तक की अवृत्ति-वाले	1,29,192	1,29,192	0	0	1,29,192	21,856	2,584	0	0	1,03,840
19) अप्रैल तक एवं संसाधन हादर	1,30,273	1,30,273	0	0	1,30,273	23,445	2,605	0	0	25,50,013
20) अप्रैल तक की अवृत्ति	30,430	30,430	0	0	30,430	3,054	609	0	0	8,54,986
21) अप्रैल तक एवं संसाधन हादर	85,764	85,764	0	0	85,764	4,288	1,715	0	0	8,76,361
22) कानूनी विवर										
23) अवृत्ति कानूनी विवर	2,86,007	2,86,007	0	0	2,86,007	37,180	5,720	0	0	21,3,097
24) अवृत्ति कानूनी विवर की अवृत्ति अवृत्तिकारी विवर	1,33,611	1,33,611	0	0	1,33,611	18,744	2,672	0	0	11,2,356
25) अवृत्ति कानूनी विवर में अवृत्तिकारी विवर	1,36,784	1,36,784	0	0	1,36,784	25,115	0	0	0	27,854
26) अप्रैल तक एवं संसाधन हादर	7,56,02,956	7,56,02,956	0	0	7,56,02,956	1,50,74,009	15,12,059	0	0	1,68,96,068
27) अवृत्ति कानूनी विवर का विवरण	92,669	92,669	0	0	92,669	14,324	1,853	0	0	16,677
28) अप्रैल तक की अवृत्ति-वाले का विवर	1,32,355	1,32,355	0	0	1,32,355	24,003	0	0	0	26,670
29) अप्रैल तक की अवृत्ति-वाले का विवर	4,43,138	4,43,138	0	0	4,43,138	88,530	8,663	0	0	97,493
30) अप्रैल तक की अवृत्ति-वाले का विवर	97,727	97,727	0	0	97,727	18,572	1,955	0	0	20,527
31) अप्रैल तक की अवृत्ति-वाले का विवर	82,904	82,904	0	0	82,904	9,948	1,658	0	0	11,606
32) अप्रैल तक की अवृत्ति-वाले का विवर	4,38,817	4,38,817	0	0	4,38,817	87,760	8,776	0	0	96,536
33) अप्रैल तक की अवृत्ति-वाले का विवर	4,35,817	4,35,817	0	0	4,35,817	69,744	8,718	0	0	78,462
34) अप्रैल तक की अवृत्ति-वाले का विवर	68,946	68,946	0	0	68,946	8,08,440	1,377	0	0	10,327
35) अप्रैल तक की अवृत्ति-वाले का विवर	13,96,02,137	13,96,02,137	0	0	13,96,02,137	2,51,30,762	27,92,043	0	0	27,52,805
36) अप्रैल तक की अवृत्ति-वाले का विवर	98,519	98,519	0	0	98,519	1,918	1,970	0	0	8,888
37) अप्रैल तक की अवृत्ति-वाले का विवर	27,518	27,518	0	0	27,518	2,475	550	0	0	24,493
38) अप्रैल तक की अवृत्ति-वाले का विवर	33,200	33,200	0	0	33,200	2,389	664	0	0	3,652
39) अप्रैल तक की अवृत्ति-वाले का विवर	57,164	57,164	0	0	57,164	8,001	1,143	0	0	9,144
40) अप्रैल तक की अवृत्ति-वाले का विवर	27,546	27,546	0	0	27,546	0	0	0	0	0



क्रमांक	विवरण	वर्ष की सुरक्षात में वर्ष के अंत में लगात / मूल्यांकन		वर्ष के दौरान परिवर्तन		वर्ष के दौरान कर्ताओं में		वर्ष के लिए भुक्तान में के उपर्युक्त वर्ष के अंत में पिछोरे तरफ के अंत में		वर्ष के अंत तक युक्त वर्ष के अंत में पिछोरे तरफ के अंत में	
		01-Apr-19	01-Apr-19	(2019-20)	(2019-20)	31-Mar-20	01-Apr-19	(2019-20)	(2019-20)	31-Mar-20	31-Mar-19
1	पारिवहन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पु. सेविज ड्रॉटरेंट बाटर											
1) मृगालय व लोगों के लिए आर्मीड लोगों के लिए											
2) संचार और सेवाएँ											
3) दस्तावेज़ के लिए चैड और या एस इक्सेज़ वर्क											
पारिवहन लोडन लोडिंग											
5) बायो-टेक्नोलॉजी											
VIII विधुत अधिकारात् और उपकरण											
X सेवन और सेवानी उपकरण											
1) एस कॉर्टेजन											
2) बैटरी											
3) फैयर अपरेशन											
4) चॉर्टर्ड रेट											
5) नियुत आपूर्ति और समाप्ति प्राप्ति											
6) ऊर्जा शापक											
× वैश्वानिक और प्रायग्राहस के उपकरण											
†) हेलिकॉप्टर											
अ. कंपनीतय उपकरण											
2.30,46,859	2.30,46,859	11,24,125	0	2,41,70,984	1,13,33,121	17,74,135	0	0	1,31,07,256	1,10,65,728	1,17,13,738
XIII) विभिन्नता उपकरण											
XIV) श्रवा दृश्य उपकरण											
XV) कंपनीतय / रोजगार नेटवर्किंग (बायो-टेक्नोलॉजी)											
XVI) कॉर्टेज, विरता और कॉटेज											
XVII) कंपनीतय गतिन											
XVIII) प्रूतकारतय की प्रूतकार और वैश्वानिक प्र॒कार											
1) वैश्वानिक											
2) कॉर्टेजन जर्मेन्स											
XIX) खेल समग्री											
XX) कंपनीतय दैषा अद्वाद											
1) कॉर्टेजन उपकरण											
2) कॉर्टेजन सार्वजनिक उपकरण											
3) कॉर्टेजन लोगों के लिए लोगों की सेवा											
4) कॉर्टेजन लोगों का नियामन											
भारत वर्ष में कुल (1)	108,76,11,534	88,75,64,84	260,22,79,766	0	368,99,91,200	49,04,83,132	21,61,84,586	0	0	70,66,67,720	298,32,22,980
2) कॉर्पोरेट कार्ये प्राप्ति में											
ii) अप्रैल में अंग्रेजी कार्य											
1) विजेती वान्स											
2) एसएईटीसी 1000 लोगों की सेवा											
3) एसएईटीसी 90,11,268											
4) कॉर्टेजन लोगों का नियामन											
i) मीमोटेक्नोलॉजी के अंग्रेजी कार्य											
1) मृगालय लोगों											
2) चार्टर्ड वाल कोटी इंडिया											



पंडित हारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची- 4 बी (परियोजना निधि में से अचल संपत्तिया)

राशि रूपये में

क्रमांक	विवरण	सकल लाभक					मूलधार					नेट लाभक	
		साल की शुरूआत में लागत / मूलधारकन	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के अंत में लागत / मूलधारकन	साल की शुरूआत में के रूप में	वर्ष के लिए समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती	साल के अंत तक कुल साल के अंत तक कुल वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत / मूलधारकन	वर्ष के अंत तक कुल साल के अंत तक कुल वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत / मूलधारकन	नेट लाभक	वर्ष के अंत में लागत / मूलधारकन
1	1 कार्यालय उपकरण	01-Apr-19 (2019-20) 3	31-Mar-20 (2019-20) 4	01-Apr-19 (2019-20) 5	31-Mar-20 (2019-20) 6	(2019-20) 7	(2019-20) 8	(2019-20) 9	(2019-20) 10	(2019-20) 11	(2019-20) 12	31-Mar-19 13	
2	I कार्यालय / प्रोफिटरेट्स नेटवर्किंग (कंपनी)	2,03,26,781	24,88,113	0	2,28,16,894	65,66,660	0	0	0	65,66,660	1,62,50,334	1,37,62,121	
3	II प्रयोगशाला के उपकरण	5,23,10,426	1,24,82,146	0	6,47,92,572	25,21,537	0	0	0	25,21,537	6,22,71,035	4,97,88,889	
4	III फर्मील और छिक्सवर	4,70,318	2,43,822	0	7,14,140	29,670	0	0	0	29,670	6,84,470	4,40,648	
5	IV कार्यालय सामग्री	19,64,435	14,20,650	0	33,85,085	3,92,887	0	0	0	3,92,887	29,92,98	15,71,548	
6	V कार्यालय उपकरण	9,17,236	98,680	0	10,15,916	68,793	0	0	0	68,793	9,47,123	8,48,443	
7	वाहू, वर्ष में कुल (₹)	7,59,91,196	1,67,33,411	0	9,27,24,607	95,79,547	0	0	0	95,79,547	8,31,45,660	6,64,11,649	

अनुसूची- 4 सी (व्यावसायिक विकास निधि में से संपत्तिया)

क्रमांक	विवरण	सकल लाभक					मूलधार					नेट लाभक	
		साल की शुरूआत में लागत / मूलधारकन	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के अंत में लागत / मूलधारकन	साल की शुरूआत में के रूप में	वर्ष के लिए समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती	साल के अंत तक कुल साल के अंत तक कुल वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत / मूलधारकन	वर्ष के अंत तक कुल साल के अंत तक कुल वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत / मूलधारकन	नेट लाभक	वर्ष के अंत में लागत / मूलधारकन
1	I कार्यालय / प्रोफिटरेट्स नेटवर्किंग (कंपनी)	22,02,162	0	22,02,162	19,50,076	2,39,628	0	0	0	21,89,704	12,456	2,52,066	
2	II वितावें	4,91,942	0	0	4,91,942	1,91,916	49,194	0	0	2,41,110	2,50,832	3,00,026	
3	III कार्यालय उपकरण	29,640	0	29,640	8,892	2,223				11,115	18,525	20,748	
4	IV वेटर (जगति में पूँजी कर्त्ता)	18,500	0	18,500	0	0			0	18,500	18,500		
5	वाहू, वर्ष में कुल (₹)	27,42,244	0	27,42,244	21,50,884	2,91,045	0	0	0	24,41,929	3,00,315	5,91,350	

**अस. डी. गडेकर
उप कुलसचिव (वि. ले.)**

**(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव**

(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची 5 – निर्धारित/बंदोबस्ती धन से निवेश

राशि रूपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	विगत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में	0	0
2	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	0	0
3	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	0	0
4	कंपनियों के अंश	0	0
5	डिबेंचर और बॉन्ड	0	0
6	बैंकों के साथ सावधी जमा	0	0
7	अन्य (उल्लिखित करें)	0	0
	कुल	0	0

S. D. Gadekar

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

S. D. Gadekar

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

Jain

(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
अनुसूची 6 – अन्य निवेश

राशि रूपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	विगत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
1 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में	0	0
2 राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	0	0
3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	0	0
4 कंपनियों के अंश	0	0
5 डिबेंचर और बॉन्ड	0	0
6 सहायक खातों के साथ सावधि जमा	0	0
7 ब्याज सावधि जमा पर उपार्जित	0	0
कुल	0	0

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
अनूसूची 7 – मौजूदा परिसंपत्तियां

	विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)	राशि रूपये में
1 स्टॉक :				
क) स्टोर और पुर्जे	0	0		
बी) ढोला उपकरण	0	0		
सी) प्रकाशन	0	0		
डी) प्रयोगशाला रसायन, उपभोग्य सामग्रियों और कांच के बर्तन	0	0		
ई) भवन निर्माण सामग्री	0	0		
एफ) विद्युत सामग्री	0	0		
जी) स्टेशनरी	0	0		
एच) घोनी की आपूर्ति सामग्री	0	0	0	0
2 विविध देनदारयां				
ए) छह मर्हने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	0	0		
बी) अन्य (फीस प्राप्त)	0	0	0	0
3 नकदी और बैंक बैंलेस				
A) अनुप्रयोग बैंकों के राश्य		10,46,03,517		39,47,77,640
— चालू खातों में				
I इलाहाबाद बैंक चालू खाता	2,94,278	2,27,695		
II भारतीय स्टेट बैंक (अनुदान) चालू खाता	2,38,616	2,39,265		
III इलाहाबाद बैंक छात्र फीस खाता	8,094	5,36,97,199		
IV इलाहाबाद बैंक बचत खाता	3,23,92,990	24,91,56,871		
V एविसेस बैंक छात्र फीस खाता	2,73,32,669	97,46,502		
VI इलाहाबाद बैंक छात्र फीस खाता	3,14,634	0		
VII परियोजनाओं के खाते				
ए) इलाहाबाद परियोजना खाता	2,74,39,470	3,69,20,017		
बी) इलाहाबाद बैंक SERB परियोजना खाता	37,07,410	0		
गी) इलाहाबाद बैंक ई और आईसीटी अकादमी खाता	85,48,817	28,41,614		
डी) इलाहाबाद बैंक रसायनिक खाता	5,450	3,860		
डु) इलाहाबाद बैंक लू आई ए / ए आई सी टो ई	43,20,786	44,91,696		
VIII केन्द्र बैंक अनुदान खाता				
IX एस बी आई टिकट खाता	303	418		
X सहायक बैंक खाते				
क) इलाहाबाद बैंक हॉल 01	0	51,55,916		
ख) इलाहाबाद बैंक हॉल 03	0	1,30,75,379		
ग) इलाहाबाद बैंक हॉल 04	0	64,94,395		
घ) इलाहाबाद बैंक जिमखाना	0	1,01,58,103		
ङ) इलाहाबाद बैंक लाइसेंसी	0	5,19,266		
च) इलाहाबाद बैंक पीजी छात्रवास	0	20,49,445		
छ) एसबीआई सीपीएक / नई पेशन खाता		0		
B) गैर-अनुप्रयोग बैंकों के राश्य :				
— चालू खातों में	0	0		
— साधारण जमा खातों में	0	0		
बचत खातों में	0	0		
4 मियादी जमा		36,35,39,895		27,76,92,533
क) संस्थान (इलाहाबाद बैंक) की एफडीआर	36,35,39,895	25,86,87,260		
ख) हॉल 01 खाता (इलाहाबाद बैंक)	0	77,00,000		
ग) हॉल 03 खाता (इलाहाबाद बैंक) की एफडीआर	0	20,00,000		
घ) हॉल 04 खाता (इलाहाबाद बैंक) की एफडीआर	0	35,00,000		
ङ) जिमखाना खाता (इलाहाबाद बैंक) की एफडीआर	0	58,05,273		
च) है और आईसीटी अकादमी (इलाहाबाद बैंक) की एफडीआर	0	0		
छ) पीजी छात्रवास इलाहाबाद बैंक) की एफडीआर	0	0		
सावधि जमा पर अंजित व्याज	0	1,71,48,934		
क) संस्थान (इलाहाबाद बैंक) की एफडीआर	0	1,16,43,053		
ख) हॉल 01 खाता (इलाहाबाद बैंक)	0	26,81,548		
ग) हॉल 03 खाता (इलाहाबाद बैंक) की एफडीआर	0	6,35,173		
घ) हॉल 04 खाता (इलाहाबाद बैंक) की एफडीआर	0	6,67,534		
ङ) जिमखाना खाता (इलाहाबाद बैंक) की एफडीआर	0	15,21,626		
च) है और आईसीटी अकादमी (इलाहाबाद बैंक) की एफडीआर	0	0		
छ) पीजी छात्रवास इलाहाबाद बैंक) की एफडीआर	0	0		
5 पोर्ट ऑफिस – बचत खाते	0	0	0	0
मुल	46,81,43,412		68,96,19,107	

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
अनूसूची 8 – ऋण, अधिग्रहण एवं जमा राशियां

राशि स्पष्ट में

	विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
1	कर्मचारियों को ब्याज मुक्त अधिग्रहण		
(ए) वेतन			
(बी) त्वाँहार	0	0	
(सी) चिकित्सा अधिग्रहण	0	0	
(डी) अन्य (रपट करें)	0	0	0
2	कर्मचारियों को लंबी अवधि हेतु ब्याज राहित अधिग्रहण		
(ए) वाटन ऋण	0	0	
(बी) गृह निर्माण ऋण	0	0	
(सी) अन्य (स्पष्ट करें)	0	0	0
नकद अथवा वस्तु के रूप में वस्तुली योग्य अधिग्रहण या अन्य राशियां या उत्पादका मूल्य बाद में लिया जाना हो			
3	(ए) पूँजी खाते में		
1. अधिग्रहण (एकत्रित/ तदर्दा/ सुरक्षित/ खरीदी किए)	16,92,181	16,92,181	
2. सुरक्षा निधि (प्राप्त)	0	0	
3. सीपीडब्ल्यूडी हेतु अधिग्रहण	9,28,60,411	12,10,92,675	
4. व्यय हेतु अधिग्रहण	21,47,463	29,71,120	
(बी) आपूर्तिकर्ताओं को	1,75,405	1,75,405	
(सी) नई दिल्ली एवं आईएसआई को	0	0	
(डी) अनुदान / सब्सिडी (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	0	0	
(ई) संस्थान को ऋण	43,37,34,568	27,50,25,940	
(एफ) स्टार्टअप हेतु ऋण	0	0	
(जी) अन्य	27,83,300	29,39,450	
(एवं) इ एवं आई सी टी को ऋण	0	53,33,93,329	30,00,000
			40,68,96,771
4	पूर्व दत्त अधिग्रहण		
(ए) बोना	2,98,652	2,57,562	
(बी) अन्य व्यय	10,95,202	13,93,854	10,80,178
5	जमाराशियां		
(ए) बीएसएनएल टेलिफोन	25,36,638	25,36,638	
(बी) लोज किराया	0	0	
(सी) विद्युत	40,21,939	44,77,389	
(डी) एआईसीटीई यदि लागू हो	0	0	
(ई) अन्य	52,88,475	1,18,47,052	22,08,370
			92,22,397
6	अर्जित आय		
(ए) विस्थित/ प्रामुख निधि से किए गए निवेश पर			
(बी) अन्य निवेश पर	0	0	
(सी) ऋणों एवं अधिग्रहणों पर	0	0	
(डी) अन्य (देय आय शामिल है, जो प्राप्त न हुई हो)	0	0	0
अन्य – प्राप्त यूजर्सी से भौजूदा परिसंपत्तियों/ प्रायोजित परियोजनाएँ			
7	(ए) प्रवर्तक परियोजनाओं के नामे शेष	0	0
(बी) शोध छात्रों को सहायता/ छात्रवृत्ति के नामे शेष	0	0	
(सी) कार्यशाला प्राप्ति (Dew)	2,68,800	0	
(डी) अन्य (प्राप्त)	2,313	2,313	
(ई) परियोजना से अधिग्रहण	17,82,394	20,53,507	
			2,64,775
8	वस्तुली योग्य दावे	0	0
	योग	54,86,87,743	41,77,23,997

Excellence
(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

Excellence
(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

Excellence
(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
अनूसूची 9 – शुल्क/अभिदान

		राशि रूपये में	
		वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
ए	छात्रों से शुल्क		
1	शिक्षण शुल्क	8,80,00,863	8,19,65,745
2	प्रवेश शुल्क	3,42,450	2,28,740
3	नामांकन शुल्क	0	0
4	ग्रंथालय प्रवेश शुल्क	0	0
5	प्रयोगशाला शुल्क	0	0
6	कला एवं दस्तकारी शुल्क	0	0
7	पंजीयन शुल्क	32,85,593	27,08,430
8	पाठ्यक्रम शुल्क	0	0
	योग (ए)	9,16,28,906	8,49,02,914
बी	परीक्षाएँ		
1	प्रवेश परीक्षा शुल्क	0	0
2	वार्षिक परीक्षा शुल्क	33,85,377	28,31,560
3	अंक सूची / प्रमाणपत्र शुल्क	2,39,715	1,60,118
4	प्रवेश परीक्षा शुल्क	0	0
	योग (बी)	36,25,092	29,91,678
सी	अन्य शुल्क		
1	परिचय पत्र शुल्क	1,71,225	1,14,370
2	दंड / विविध शुल्क	0	0
3	चिकित्सा / स्वारक्ष्य परीक्षा शुल्क	37,42,049	28,76,482
4	परिवहन शुल्क	0	0
5	छात्रावास शुल्क	1,10,81,691	89,83,181
6	छात्र नियोजन एवं प्रशिक्षण शुल्क	0	0
7	जीवन प्रगति विकास कार्यक्रम	6,84,899	4,57,480
8	प्रकाशन	0	0
9	आधुनिकीकरण	0	0
10	शोध प्रबंध	0	0
11	जापानी कोर्स	0	0
12	ग्रीष्मकालीन अध्ययन	0	0
13	हॉल प्रबंधन खाता	0	0
14	छात्र हितलाभ खाता	0	0
15	अन्य उपाधी एवं विविध शुल्क	27,13,779	11,85,922
	योग (सी)	1,83,93,643	1,36,17,434
डी	प्रकाशनों का विक्रय		
1	प्रवेश फॉर्मों की विक्री	0	0
2	पाठ्यक्रम एवं प्रश्नपत्रों इत्यादि का विक्रय / अन्य	0	0
3	प्रवेश प्रपत्रों के साथ विवरणिका का विक्रय	0	0
	योग (डी)	0	0
ई	अन्य शैक्षणिक प्राप्तियाँ		
1	कार्यशालाओं, कार्यक्रम के लिए पंजीकरण शुल्क	0	0
2	पंजीकरण शुल्क (अकादमिक रसाफ कॉलेज)	0	0
	कुल (ई)	0	0
एफ	प्राप्त रकम का अंतरण		
1	हॉल प्रबंधन खाता को	0	0
2	छात्र हितलाभ खाता को	0	0
3	चालू देयताओं को अंतरित अप्राप्त राशि	0	0
	योग (एफ)	0	0
	महायोग (ए से एफ तक का)	11,36,47,641	10,15,12,027

Excellence(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)*Excellence*(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव*Sanjiv Jain*
(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
अनुसूची- 10 अनुदान/ सब्सिडी (अविकल्पी अनुदान प्राप्त) योजना

राशि रूपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	विगत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
	शेष आगे लाया गया	16,98,42,519	2,75,23,724
वृद्धि	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	26,40,90,560	79,09,34,997
वृद्धि	आंतरिक कोष से ऋण (अनुदान की कमी से)	15,87,08,629	9,10,69,761
वृद्धि	परिसंपत्ति पर मूल्य निर्धारण	0	0
कमी	वेतन के लिए ऋण की वापसी	0	0
	कुल	59,26,41,708	90,95,28,482
कमी	पूँजीगत व्यय के लिए उपयोग	19,80,25,363	40,24,31,719
	अनुदान से उपयोग	197244746.9	
	ऋण से उपयोग (आंतरिक कोष)	780616.07	
	शेष	39,46,16,345	50,70,96,762
कमी	राजस्व व्यय के लिए उपयोग	39,46,16,346	33,72,54,243
	अनुदान से उपयोग	23,66,88,333	
	ऋण से उपयोग (आंतरिक कोष)	15,79,28,013	
	शेष आगे ले जाया गया	0	16,98,42,519

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव(संजीव जैन)
निदेशक



पांडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची 11 – निवेश से आय

राशि रूपये में

विवरण	निधारित / बंदोबस्ती धन		वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)	अन्य निवेश
	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)			
1 ब्याज					
क) सरकारी प्रतिमूलि पर	0	0	0	0	0
ख) अन्य बांड / डिब्बेचर	0	0	0	0	0
2 सावधि जमाराहियों पर ब्याज	0	27,35,273	2,36,72,407	1,41,68,244	
सावधी जमा / कर्मचारियों को अग्रिम से ब्याज					
3	0	0	0	0	0
4 बचत बैंक खातों पर ब्याज	15,58,545	37,31,362	0	0	0
5 अन्य (निर्दिष्ट करें)	0	0	0	0	0
कुल	15,58,545	64,66,635	2,36,72,407	1,41,68,244	
निधारित / बंदोबस्ती धन को टांसफर करने का					
1 प्रावधान	13,60,343	28,86,174	0	0	
शेष	1,98,202	35,80,461	2,36,72,407	1,41,68,244	

(संजीव जैन)
निदेशक

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव
उप कुलसचिव (वि. ले.)



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
अनुसूची 12 अर्जित ब्याज

राशि रूपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	विगत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
1	अनुसूचित बैंकों के बचत खातों पर	16,33,970	1,04,834
2	ऋण पर ब्याज		
	ए) कर्मचारियों के	0	0
	बी) अन्य	0	0
3	देनदारी और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		
	ए) सुरक्षा जमा राशि पर ब्याज (एमपीपीकेवीवीसीएल)	2,03,805	2,31,442
	कुल	18,37,775	3,36,276

गडेकर(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)*गडेकर*(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव*जैन*(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
अनुसूची 13 – अन्य आय

राशि रूपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	विचारित वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
ए भूमि एवं भवन से आय		
1. छात्रावास शुल्क	11,46,915	6,47,925
2. अनुज्ञाप्ति शुल्क	3,11,914	3,27,595
3. प्रेक्षागृह/खेल मैदान / सभा भवन हेतु किराया प्रभार	0	0
4. विद्युत एवं जल प्रभार	0	0
योग (ए)	14,58,829	9,75,520
बी संस्थान के प्रकाशनों का विकाय	0	0
योग (बी)	0	0
सी समारोह के आयोजनों से आय		
1. वार्षिक समारोह/खेल आयोजन से सकल प्राप्ति		0
(-) वार्षिक समारोह/खेल आयोजन संबंधी प्रत्यक्ष व्यय		0
2. अन्य आयोजनों से सकल प्राप्ति		
(-) अन्य आयोजनों संबंधी प्रत्यक्ष व्यय		0
3. शैक्षणिक यात्राओं से सकल प्राप्ति		
(-) यात्राओं संबंधी प्रत्यक्ष व्यय		0
4. अन्य (विशिष्ट उल्लेख करें व अलग से विवरण दें)		0
योग (सी)	0	0
डी अन्य		
1. परामर्श से आय		0
2. आरटीआई से आय	364	0
3. रॉयल्टी से आय	0	0
4. आवेदन फार्म से आय	5,73,025	0
5. निविदाओं फार्म, कवरे पेपर आदि की बिक्री से आय	74,500	21,500
6. परिसंपत्तियों की बिक्री / निपटान पर लाभ :		
ए) संस्थान की संपत्ति से	0	0
बी) अनुदान या बिना मूल्य प्राप्त हुई संपत्तियों से	0	0
7. कल्याण निकायों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा अनुदान/ डोनेशन		
	0	0
8. बस सेवा आय	7,43,786	7,12,150
9. परियोजना से आय	0	0
10. गेस्ट हाउस से आय	57,438	1,46,254
11. दंड से आय	55,396	46,095
12. अन्य विधिध आय	1,99,900	4,29,676
13. पुनर्वास (आंतरिक आय में से)	0	0
कुल (डी)	17,04,409	13,55,675
कुल (ए से डी तक)	31,63,238	23,31,195

ssccccc
 (एस. डी. गड़ेकर)
 उप कुलसचिव (वि. ले.)

ssccccc
 (एस. डी. गड़ेकर)
 कार्यकारी कुलसचिव

ssccccc
 (संजीव जैन)
 निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची 14 – पूर्व अवधि की आय

राशि रूपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	विगत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
ए	शैक्षणिक प्राप्तियां	0	0
बी	निवेश से आय	0	0
सी	अर्जित ब्याज	0	0
डी	अन्य आय	30,69,133	31,69,650
	कुल	30,69,133	31,69,650

Signature

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

Signature

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

Signature

(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची 15 – कर्मचारियों को भुगतान एवं हितलाभ स्थापना व्यय – योजना

राशि रूपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	विगत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
ए)	वेतन एवं मजदूरी	14,12,19,888	13,25,59,672
बी)	भत्ते एवं बोनस	1,05,408	40,458
सी)	अन्य निधियों को अंशदान	1,64,54,983	0
डी)	सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ	93,96,935	72,03,633
इ)	अवकाश यात्रा रियायत सुविधा	23,35,624	16,25,346
एफ)	चिकित्सा सुविधा	34,54,183	30,75,751
जी)	बालक शिक्षा भत्ता	17,14,500	4,65,153
एच)	यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता व्यय	0	0
आई)	अन्य संस्थानों के कर्मचारियों हेतु अवकाश वेतन अंशदान	0	0
जे)	अवकाश नकदीकरण	0	3,01,374
के)	व्यावसायिक विकास भत्ता	24,17,302	43,33,085
	कुल	17,70,98,823	14,96,04,472

Excellence(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)*Excellence*(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव*S. Jain*(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
अनुसूची 15 ऐ – कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभ

राशि रूपये में

विवरण		पेंशन	उपचान	अवकाश	कुल
				नकदीकरण	
ए.	01.04.2019 को प्राथमिक शेष	0	3,29,48,416	5,76,60,199	9,06,08,615
	इसके अतिरिक्त : अन्य संगठनों से प्राप्त योगदान की पूरीकृत मूल्य	0	0	4,30,244	4,30,244
	कुल (ए)	0	3,29,48,416	5,80,90,443	9,10,38,859
बी.	क्रम : वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	0	0	15,95,367	15,95,367
सी.	31.03.2020 को उपलब्ध बैलेस सी (जी-बी)	0	3,29,48,416	5,64,95,076	8,94,43,492
डी.	31.03.2020 को आवश्यक प्रावधान	0	3,29,48,416	6,58,66,416	9,88,14,832
	ए. चालू वर्ष में किए जाने के लिए प्रावधान (जी-सी)	0	0	93,71,340	93,71,340
	बी. नई पेंशन योजना के लिए योगदान	0	0	0	0
	सी. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	0	0	0
	जी. सेवानिवृत्ति पर गृहनार की यात्रा करने हेतु	0	0	0	0
	ई. डिपोजिट लिंकड बीमा भुगतान	0	0	0	0
	एक. अवकाश वेतन योगदान	0	0	25,595	25,595
	कुल (ए से एक तक)	0	0	93,96,935	93,96,935

(एस. डी. गड़कर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची 16 – शैक्षिक व्यय— योजना

राशि रूपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	विगत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
ए)	प्रयोगशाला व्यय	6,95,297	10,09,995
बी)	क्षेत्र कार्य/प्रतिभागिता	0	0
सी)	सेमिनारों / कार्यशालाओं पर होने वाले व्यय	9,75,060	1,28,503
डी)	विजिटिंग फैकल्टी को भुगतान	57,62,350	57,16,923
इ)	परीक्षा	0	0
एफ)	छात्र कल्याण व्यय	6,40,979	5,78,311
जी)	प्रवेश व्यय	0	0
एच)	दीक्षांत समारोह व्यय	16,50,178	0
आई)	प्रकाशन	0	0
जे)	वृत्तिका/मीन्स—कम—मेरिट छात्रवृत्ति	6,80,52,085	5,56,95,788
के)	अभिदान व्यय	0	0
एल)	छात्र सहायता सेवाए	25,45,104	8,77,529
एम)	मानवेय (ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम)	7,93,500	6,34,000
एन)	स्वास्थ्य सुविधा	7,77,565	9,93,909
ओ)	अन्य	0	3,73,010
	कुल	8,18,92,119	6,60,07,968

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



पंचित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
अनुसूची 17 – प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

राशि रूपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	विगत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
ए	बुनियादी सुविधाएँ		
ए)	विद्युत शक्ति	2,64,10,025	2,29,97,398
बी)	जल प्रभार	0	0
सी)	बीमा	0	0
डी)	रेंट, दरें और कर	0	1,700
बी	संचार		
ए)	डाक एवं तार	87,066	96,012
बी)	टेलीफोन और इंटरनेट / लीज़लाइन प्रभार	22,89,238	10,06,339
सी)	अन्य		
ए)	मुद्रण एवं स्टेशनरी	13,08,328	8,42,636
बी)	यात्रा और वाहन	18,70,427	10,65,863
सी)	सेमिनारों / कार्यशालाओं / प्रशिक्षण पर खर्च	4,57,866	0
डी)	आतिथ्य खर्च	7,54,768	7,03,447
ई)	लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	2,06,830	1,00,000
एफ	प्रोफेशनल शुल्क	31,31,934	32,44,096
जी)	विज्ञापन एवं प्रचार	15,17,056	2,57,346
एच	अखबार और पत्रिकाएँ	3,25,365	94,864
आ)	वेतन और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मजदूरी	7,91,54,982	6,97,39,436
जे)	उपभोग्य	17,14,009	10,26,137
के)	अन्य विविध व्यय	12,27,374	9,16,954
एल	सदस्यता	70,000	0
एम	मानदेय	6,21,119	4,59,078
एन	भविष्य निधि / एनपीएस में योगदान	0	1,15,88,351
	कुल	12,11,46,387	11,41,39,657

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची- 18 – परिवहन व्यय – योजना

राशि रूपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	विगत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
1	वाहन (संस्थान के स्वामित्व के)		
	ए) सतत व्यय	7,82,615	5,38,941
	बी) सुधार एवं रख-रखाव व्यय	1,62,079	1,95,934
	सी) बीमा व्यय	40,521	71,048
2	वाहन (किराये / पट्टे पर)		
	ए) किराया/पट्टा व्यय	25,27,318	17,50,782
3	वाहन (टैक्सी) हायरिंग व्यय	0	0
	कुल	35,12,533	25,56,705

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
अनुसूची- 19 – सुधार एवं रख-रखाव – योजना

राशि रूपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	विगत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
ए)	भवन	42,55,171	8,66,841
बी)	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	2,02,693	15,074
सी)	प्लांट और मशीनरी	11,40,264	22,07,436
डी)	कार्यालय उपकरण और अन्य उपकरण	21,70,964	5,27,656
इ)	कंप्यूटर	1,800	26,644
एफ	प्रयोगशाला और वैज्ञानिक उपकरण	0	0
जी)	श्रव्य दृश्य उपकरण	0	0
एच	सामग्री और सेवाओं की सफाई	1,83,646	1,54,071
आई	बुक बाइडिंग प्रभार	0	0
जे)	बगीचा (बागवानी) का खर्च	18,41,743	3,26,971
के)	एस्टेट रखरखाव	0	0
एल	डीजी सेट	6,80,490	4,29,536
एम	जल शोधक संयंत्र	4,72,781	3,76,665
	कुल	1,09,49,552	49,30,894

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची 20 – वित्तीय लागत

राशि रूपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	विचारित वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
ए	बैंक प्रभार	16,932	14,547
बी	अन्य (उल्लेखित करें)	0	0
	कुल	16,932	14,547

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



पंचित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची- 21 – अन्य व्यय

राशि रूपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	विगत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
ए)	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों हेतु प्रावधान	0	0
बी)	वसूली न होने वाले शेषों का अपलेखन	0	0
सी)	अन्य संस्थानों/संगठनों के लिए अनुदान/सक्षिप्ती	0	0
डी)	अन्य (निर्दिष्ट करें)	9,512	0
	कुल	9,512	0

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



पंचित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
अनुसूची- 22 – पूर्व अवधि व्यय

राशि रूपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	विगत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)
ए)	स्थापना व्यय	0	0
बी)	शैक्षणिक खर्च	0	0
सी)	प्रशासनिक और सामान्य खर्च	18,63,388	0
	1) लीज लाइस: 1252338		
	2) विद्युत व्यय: 611050		
डी)	परिवहन खर्च	0	0
इ)	मरम्मत और रख रखाव	94,833	0
एफ)	वित्त लागत	0	0
जी)	मूल्यहास	0	0
एच)	अन्य खर्चे	3,05,193	0
	कुल	22,63,414	0

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर
अनुसूची 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु तैयार किए गए अंतिम खातों का भाग है।

अनुसूची : 23
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखे तैयार करने का आधार

वित्तीय लेखे परंपरानुसार प्रचलित लागत मूल्य के अंतर्गत, जहां अन्यथा उल्लेखित न हो, एवं सामान्यतः लेखांकन हेतु अर्जन विधि से तैयार किए गए हैं।

2. राजस्व (आय) की पहचान

- 2.1 प्रवेश पत्र विक्रय, स्वत्व (Royalty) शुल्क, एवं बचत खातों पर ब्याज को नकद प्राप्ति (Cash basis) आधार पर लेखा किया गया है। शिक्षण शुल्क, जो प्रत्येक सेमेस्टर हेतु वसूल किया जाता है, को अर्जन आधार (Accrual basis) पर लेखा किया गया है।
- 2.2 भूमि, इमारत व अन्य संपत्ति से आय एवं निवेश पर ब्याज, अर्जन आधार (Accrual basis) पर लेखा किया गया है।

3. अचल आस्तियां एवं मूल्यहास (Fixed Assets & Depreciation)

- 3.1 अचल आस्तियों (Fixed Assets) को उनके अर्जन की लागत (Cost of acquisition) पर मूल्यांकित किया गया है, जिसमें आस्ति के अर्जन पर उसे लगाने (Installation) एवं शुरू करने (Commissioning) का व्यय, आवक भाड़ा, कर, शुल्क, आनुषंगिक एवं प्रत्यक्ष व्यय शामिल है।
- 3.2 उपहार/दान में प्राप्त आस्तियों (Assets) को उनके लिए घोषित मूल्य (Declared Value), यदि उपलब्ध हो, पर मूल्यांकित किया गया है, एवं घोषित मूल्य अनुपलब्ध होने पर उनकी भौतिक या वास्तविक स्थिति के अनुसार उनके वर्तमान बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है। इन आस्तियों को पूंजीगत निधि के जमा (By credit to Capital Fund) अंतर्गत रखते हुए संस्थान की अचल आस्तियों में शामिल किया गया है।
- 3.3 दान में मिली हुई पुस्तकों को उनके विक्रय मूल्य के आधार पर मूल्यांकित किया गया है। अमुद्रित पुस्तकों का मूल्यांकन, आकलन (Assessment) के आधार पर किया गया है।
- 3.4 अचल आस्तियों (Fixed Assets) को लागत—जमा मूल्यहास (Cost-Accumulated Depreciation) के आधार पर मूल्यांकित किया गया है। अचल आस्तियों पर मूल्यहास की दरें, सीधी लाइन पद्धति (Straight line Method) से निम्नानुसार रखी गई हैं।
- 3.5 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बीओजी / 31 / 11 के निर्णयानुसार लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए जारी किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए उसके द्वारा बनाए रखा जा सकता है जो कि ह्यसित मूल्य या न्यूनतम मूल्य संस्थान द्वारा तय किया जाएगा। फिक्स्ड एसेट और / या कोर्पस तदनुसार प्रभावित होगा।



मूर्त आस्तियां (Tangible Assets)

1. भूमि	0%
2. स्थल विकास	0%
3. इमारत	2%
4. पथ एवं पुल	2%
5. टयूबवेल एवं जल आपूर्ति	2%
6. मल प्रबंधन एवं नालियां	2%
7. विद्युत स्थापन एवं उपकरण	5%
8. सयंत्र एवं मशीनरी	5%
9. वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	8%
10. कार्यालय उपकरण	7.5%
11. श्रव्य दृश्य उपकरण	7.5%
12. संगणक एवं आनुषंगिक उपकरण	20%
13. फ़र्नीचर, फ़िक्स्चर एवं फिटिंग्ज	7.5%
14. वाहन	10%
15. पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक जर्नल्स	10%

अमूर्त आस्तियां (Intangible Assets)

1. ई-जर्नल्स	40%
2. संगणक सॉफ्टवेयर	40%
3. पेटेंट एवं कॉपीराइट्स	9 वर्ष

- 3.6 30 सितंबर, 2019 को या उससे पहले क्रय की गई संपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए लगाया जाता है एवं 30 सितंबर, 2019 के बाद क्रय की गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान छमाही आधार पर लगाया जाता है।
- 3.7 जहां किसी आस्ति हेतु मूल्यहास का प्रावधान संपूर्ण हो गया हो तो तुलन पत्र में उसका शेष मूल्य रु 1/- दिखाया गया है। इसके बाद प्रतिवर्ष, आस्ति की मद में जोड़े गए किसी भी आधिक्य पर मूल्यहास की गणना, अलग से उस विशिष्ट आस्ति हेतु निर्धारित दर से की गई है।
- 3.8 ऐसी आस्तियों, जिनका स्वामित्व संस्थान के पास है, एवं जो चिह्नित निधियों से या प्रायोजित परियोजनाओं की निधियों से अर्जित की गई हो, को पूँजीगत निधि के जमा अंतर्गत (By credit to Capital Fund) रखते हुए, संस्थान की अचल आस्तियों में शामिल किया गया है। ऐसी आस्तियों पर मूल्यहास उस विशिष्ट आस्ति हेतु निर्धारित दर से प्रभारित किया गया है। ऐसी आस्तियों, जो प्रायोजित परियोजनाओं की निधियों से अर्जित की गई हो परंतु जिनका स्वामित्व प्रायोजकों के ही पास हो, पर वह संस्थान में ही रखी गई हो व उपयोग में लाई जा रही हो, को लेखों पर नोट्स (Notes on Accounts) में अलग से दर्शाया गया है।
- 3.9 प्रस्ताव या अनुमोदन के अनुसार इस तरह के कंप्यूटर पार्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसी मामूली वस्तुएं, जहां संस्थान या अनुदाता संगठन में ऐसी संपत्ति के स्वामित्व निहित बनाया जाएगा / निर्धारित धनराशि और / या व्यय के हेड के अनुसार प्रायोजित परियोजनाओं के लिए धन से खरीदी के रूप में होंगी।



- 3.10 आस्तियां, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य रु 2000/- या उससे कम हो, (पुस्तकालय में रखी पुस्तकों को छोड़कर) को लघु मूल्य आस्ति (Small Value Assets) माना गया है व ऐसी आस्तियों पर उनके अर्जन (Acquisition) के समय ही 100% मूल्यहास का प्रावधान किया गया है। यद्यपि, ऐसी आस्तियों का नियंत्रण एवं भौतिक लेखा (Physical Accounting) रखने का कार्य, इनके धारकों के द्वारा किया जाता है।

4. अमूर्त आस्तियां

पेटेंट्स् एवं कॉपीराइट्स्, ई-जर्नल्स् एवं संगणक सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्तियों के समूह में रखा गया है।

- 4.1 पेटेंट्स् :— पेटेंट्स् प्राप्त करने हेतु समय समय पर लगने वाले व्यय (आवेदन शुल्क, विधिक शुल्क इत्यादि) को अस्थाई रूप से पूंजीकृत (Capitalized) किया गया है एवं तुलन पत्र (Balance Sheet) में इसे अमूर्त आस्तियों के भाग के तौर पर दर्शाया गया है। यदि पेटेंट हेतु किया गया आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो उस विशिष्ट पेटेंट हेतु किए गए संचयी व्यय को उस वर्ष, जिसमें आवेदन अस्वीकृत किया गया है, आय-व्यय खाते को नामे कर बटटे (Written off) खाते में डाला जाता है। पेटेंट हेतु किए गए स्वीकृत आवेदनों का व्यय, परंपरागत रूप से 9 वर्षों की अवधि में बटटे खाते में डाला जाता है।
- 4.2 इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स् (ई-जर्नल्स्) को, ऑनलाइन प्रवेशाधिकार (एक्सेस) उपलब्ध कराने से प्राप्त हो सकने वाले सीमित लाभ को देखते हुए पुस्तकालय की पुस्तकों से अलग रखा गया है। ई-जर्नल्स्, मूर्त स्वरूप में नहीं होते हैं इसलिए इन्हें अस्थाई रूप से पूंजीकृत किया गया है। इनपर किए जाने वाले खर्च के परिमाण (Magnitude) एवं शैक्षिक तथा अनुसंधान स्टाफ की जानकारी में निरंतर वृद्धि के लाभ को देखते हुए इन पर पुस्तकालय की पुस्तकों पर किए जाने वाले 10% मूल्यहास की तुलना में अधिक दर से मूल्यहास का प्रावधान किया गया है जो कि 40% है।
- 4.3 संगणक सॉफ्टवेयर के अर्जन हेतु किए गए व्यय को संगणक एवं आनुषंगिक उपकरणों (Computers & Peripherals) के अर्जन हेतु किए गए व्यय से अलग रखा गया है क्योंकि इनके अमूर्त आस्ति (Intangible Asset) होने के अलावा इनके कालातीत (Obsolescence) होने की दर बहुत अधिक है। सॉफ्टवेयर पर संगणक एवं आनुषंगिक उपकरणों पर किए जाने वाले 20% मूल्यहास की तुलना में अधिक दर से मूल्यहास का प्रावधान किया गया है जो कि 40% है।

5. सामग्री एवं भंडार

रसायन, कांच के सामान, प्रकाशनों एवं अन्य भंडार सामग्री की खरीदी पर किए गए व्यय को राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) के मद में लेखा किया गया है (31 मार्च को अंतिम शेष भंडार सामग्री (Closing Stock) के मूल्य को छोड़कर, जो कि विभागों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संबंधित राजस्व व्यय में से घटा कर वस्तु सूची (Inventories) में लिया गया है व जिसका मूल्यांकन लागत (Cost) पर किया गया है)।

6. सेवानिवृत्ति लाभ

वर्ष के दौरान अवकाश नकदीकरण का प्रावधान किया गया है। संस्थान के ऐसे कर्मचारियों जिन्हें संस्थान में समाहित (Absorb) किया गया है, के पूर्व नियोक्ताओं से प्राप्त अवकाश नकदीकरण के पूंजीकृत मूल्य (Capitalized Value) की राशि को संबंधित प्रावधानों के खातों में जमा किया गया है। अवकाश नकदीकरण के वास्तविक भुगतानों को संबंधित प्रावधानों में खातों में डेबिट किया गया है। अन्य सेवानिवृत्ति लाभों जैसे – डिपोज़िट लिंक बीमा, नई पेंशन योजना में योगदान, सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति एवं



सेवानिवृत्ति पर मूल निवास स्थान जाने का यात्रा व्यय इत्यादि को अर्जन आधार (Accrual basis) पर लेखा किया गया है (वास्तविक भुगतान के साथ वर्षात में लंबित बिलों की राशि)। ग्रेचुटी के लिए प्रावधान वर्ष के दौरान नहीं किया गया है जिसे पिछले वर्ष तक किया गया था।

7. निवेश

(ए) लंबी अवधि के निवेशों को उनकी लागत अथवा उनके अंकित मूल्य (Face Value) में से जो भी कम हो, पर लिया गया है।
(बी) छोटी अवधि के निवेशों को उनकी लागत अथवा उनके बाजार मूल्य (यदि कोट (Quote) किया गया हो) में से जो भी कम हो, पर लिया गया है।

8. चिह्नित एवं वृत्ति निधियां

निम्नांकित लंबी अवधि की निधियां (Funds) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए चिह्नित (Earmarked) हैं। प्रत्येक निधि का अलग बैंक खाता है। अधिक राशि की निधियों को सरकारी प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों, बांड्स एवं बैंकों की सावधि जमा में निवेश किया गया है। निवेश से एवं अग्रिमों (गृहनिर्माण, वाहन एवं संगणकों हेतु अग्रिम) से आय को अर्जन आधार पर (Accrued Basis) तथा बचत खातों में प्राप्त ब्याज को संबंधित निधियों के खातों में जमा किया गया है। व्यय एवं अग्रिमों (गृहनिर्माण, वाहन एवं संगणकों के प्रकरणों में) को संबंधित निधियों के खातों में नामे (Debit) किया गया है। चिह्नित निधियों से अर्जित आस्तियों (Assets created), जहां स्वामित्व संस्थान के पास निहित है, को पूँजीगत निधि खाते को समान राशि का जमा देते हुए, संस्थान की आस्तियों में मिलाया गया है। संबंधित निधि में शेष राशि को आगे लाया जाकर आस्तियों के अंतर्गत निवेश, बैंक में शेष एवं अर्जित ब्याज में दर्शाया गया है।

- 8.1 रक्षित निधि, 2013 में अधिशासी मंडल की 25वीं बैठक में हुए निर्णय दिनांक 11.10.2013 के अनुसार गठित की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त समतुल्य योगदान, महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं से मान्यता / संबद्धता हेतु प्राप्त शुल्क, सलाह सेवाओं के लिए संस्थान के भाग के रूप में प्राप्त शुल्क एवं शोध परियोजनाओं से प्राप्त योगदान रक्षित निधि (Corpus Fund) में जोड़े जाने हेतु पात्र समझे गए। रक्षित निधि से किए गए निवेशों से प्राप्त आय को रक्षित निधि में ही जोड़ा गया। रक्षित निधि (Corpus Fund) का उपयोग, राजस्व एवं पूँजीगत दोनों प्रकार के व्यय हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं संस्थान की कार्यकारिणी परिषद् द्वारा समय समय पर दिए गए दिशानिर्देशों के आधार पर किया गया। रक्षित निधि से अर्जित आस्तियों, को पूँजीगत निधि खाते को समान राशि का जमा देते हुए, संस्थान की आस्तियों में मिलाया गया है। रक्षित निधि में शेष राशि को आगे लाया जाकर अलग बैंक खाते में शेष, आरबीआई बांड्स में निवेश, बैंक में सावधि जमा एवं निवेश पर अर्जित ब्याज के रूप में दर्शाया गया है।
- 8.2 वृत्ति निधियों में, विभिन्न व्यक्तिगत दाताओं, न्यास, एवं संस्थाओं से विनिर्दिष्ट पदकों, पुरस्कारों एवं चेयर्स को स्थापित करने हेतु दानदाताओं द्वारा प्राप्त निधियां होती हैं। जहां वृत्ति निधियों में से प्रत्येक निधि का अपना अलग निवेश होता है, सभी वृत्ति निधियों हेतु एक ही बचत बैंक खाता होता है क्योंकि इन निधियों में अनिवेशित शेष राशि नाममात्र ही होती है। प्रत्येक वृत्ति निधि से किए गए निवेशों से प्राप्त आय को वृत्ति निधि में जोड़ा गया। बचत खातों से प्राप्त ब्याज को प्रत्येक वृत्ति निधि के वर्षात में अंतिम शेष के आधार पर आनुपातिक रूप से सभी वृत्ति निधियों को विनिधान (Allocate) किया गया। पदकों एवं पुरस्कारों पर हुआ व्यय, संबंधित वृत्ति निधि में से किए गए निवेश से प्राप्त आय में से किया गया एवं शेष राशि को आगे ले जाया गया। यद्यपि चेयर्स हेतु रक्षित वृत्ति



निधि का उपयोग किया गया। दर्शाई गई शेष राशि में आरबीआई बांडस् में निवेश, सावधि जमा, सभी वृत्ति निधियों हेतु एक ही बचत बैंक खाते में शेष एवं निवेश पर अर्जित ब्याज के रूप में दर्शाया गया है।

9. शासकीय अनुदान

- 9.1 शासकीय अनुदान का लेखा वसूली (Realiasation) आधार पर किया गया है। तथापि संबंधित वित्त वर्ष हेतु अनुदान की स्वीकृति यदि 31 मार्च से पूर्व प्राप्त हो गई हो, परंतु वास्तव में अनुदान राशि अगले वित्त वर्ष में प्राप्त हुई हो, तो अनुदान का लेखा, अर्जन आधार (Accrual basis) पर किया गया है व उतनी ही राशि अनुदान दाता से वसूली योग्य (Recoverable) मद में दर्शाई गई है।
- 9.2 शासकीय अनुदान एवं यूजीसी अनुदान का पूँजीगत व्यय में अर्जन आधार (Accrual basis) पर उपयोग किया गया भाग उपयोग की सीमा तक पूँजीगत निधि में अंतरित किया गया है।
- 9.3 शासकीय अनुदान एवं यूजीसी अनुदान का राजस्व व्यय में अर्जन आधार (Accrual basis) पर उपयोग किए गए भाग को उपयोग की सीमा तक उस वर्ष की आय माना गया जिस वर्ष उसकी वसूली (Realized) हुई है।
- 9.4 उपयोग किए गए अनुदान (जिसमें उस अनुदान में से भुगतान किए गए अग्रिम शामिल हैं) को आगे ले जाया गया व तुलन पत्र में देयताओं (Liabilities) में प्रदर्शित किया गया।

10. विद्वित निधियों का निवेश एवं उनसे प्राप्त होने वाली ब्याज आय

ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज जमा हुआ और बकाया और ब्याज अर्जित किया गया, को संबंधित मदों में जोड़ा गया है तथा संस्थान की आय के रूप में नहीं माना गया।

11. प्रायोजित परियोजनाएं

- 11.1 सतत चलने वाली प्रायोजित परियोजनाओं (Ongoing projects) में प्रायोजक (Sponsor) से प्राप्त राशि को “चालू देयताएं व प्रावधान—चालू देयताएं—अन्य देयताएं—सतत चलने वाली परियोजनाओं हेतु प्राप्त आगम” लेखा शीर्ष में जमा देते हुए लेखा किया गया है। जब भी वास्तविक व्यय हुआ/या इन परियोजनाओं के पेटे अग्रिम का भुगतान किया गया या आवंटित उपरिव्यय (Allocated Overhead) प्रभारों से संबंधित परियोजना खाते को नामे किया गया है, वहां देयताओं को नामे करते हुए लेखा किया गया है।
- 11.2 संस्थान द्वारा स्वयं भी अध्येतावृत्तियां व छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं जिन्हें शैक्षिक व्यय (Academic Expenses) के अंतर्गत लेखा किया गया है।

12. आयकर

आयकर अधिनियम की धारा 10 (23 सी) के अंतर्गत, संस्थान को आयकर से छूट है। इसलिए आयकर हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



पं. द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

अनुसूची 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु तैयार किए गए अंतिम खातों का भाग है।

अनुसूची : 24

आकस्मिक देयताएं एवं खातों हेतु नोट

1. आकस्मिक देयताएं

- 1.1 31.03.2020 को संस्थान के भूतपूर्व / वर्तमान कर्मचारियों, किराए दारों एवं ठेकेदारों द्वारा न्यायालय में संस्थान के विरुद्ध दायर किए गए न्यायालयीन प्रकरण एवं ठेकेदारों से विवादों में मध्यस्थता (Arbitration) के प्रकरण निर्णय हेतु लबितर है। कर्मचारियों द्वारा दायर दावे (Suits) स्थापना (Establishment) से संबंधित थे जैसे पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतनमान एवं बर्खास्तगी इत्यादि। दावों में निश्चित राशि का निर्धारण (Ascertain) किया जाना संभव नहीं है। मध्यस्थता प्रकरणों (2 प्रकरण) में मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय की दावा राशि रु. 42,64,478/- रही।
- 1.2 संस्थान के पक्ष में बैंक द्वारा जारी किए गए साखपत्रों (Letter of Credits) 31.03.2019 को शेष राशि रु निरंक (0) रही। (पिछले वर्ष यह राशि रु निरंक (0) थी)
- 1.3 आयकर अधिकारी (टीडीएस-2) जबलपुर द्वारा वित्त वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 हेतु आयकर की मांग की गई एवं राशि रु 1,04,16,528/- हेतु मांगपत्र जारी किया गया। इसके विरुद्ध सीआईटी (अपील) जबलपुर के समक्ष अपील दायर की गई थी और उसी के तहत छात्रवृत्ति मामले पर संस्थान की अपील को स्वीकार करते हुए आईटीओ द्वारा दिनांक 24-12-2014 को ऑनलाइन पत्रिकाओं की लीजलाइन कनेक्शन और सदस्यता के लिए रु 43,83,368/- की शेषमांग की गयी थी। संस्थान ने सीआईटी (अपील) जबलपुर के फेसले को चुनौती देने के साथ ही मांग पर स्टे के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण जबलपुर के पास अपील दायर की थी। स्टे 04.04.2016 को प्रदान किया गया है। जिसके विरुद्ध संस्थान ने आईटीओ (टीडीएस-II) जबलपुर द्वारा पिछले वर्ष की गयी मांग पर राशि रु 21,98,684/- जमा की गयी है से इस राशि को चालू परिसंपत्तियों के रूप में खातों में रखा जाता है।

2. पूंजीगत अभिवचन

31.03.2020 को पूंजीगत कार्यों से संबंधित ठेकों (Contracts), जो कार्यान्वित (Execute) नहीं हो पाए हैं, एवं जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) (Net of Advances) के मूल्य की राशि रु0 निरंक (0) रही। (पिछले वर्ष यह राशि रु0 निरंक (0) थी)।

3. अचल आस्तियां

वर्ष के दौरान अनुसूची 04 में अचल आस्तियां क्रय किये गए जिसमें पूंजीगत कार्य शामिल हैं। निर्धारित निधि और अन्य संपत्ति उपहार स्वरूप संस्थान को प्राप्त हुई। कॉर्पस / पूंजीगतनिधि संपत्तियों को क्रेडिट द्वारा स्थापित किया गया है।



- 3.2 31.03.2020 के तुलन पत्र (Balance Sheet) एवं पूर्व वर्षों के तुलन पत्रों में अचल आस्तियां (Fixed Assets) योजना निधि से निर्मित की गई। वर्ष के दौरान योजनानिधि से (व्यावसायिक विकासनिधि (Professional Development Fund) से निर्मित आस्तियों को शामिल करते हुए), चिह्नित / वृत्तिनिधि (Earmarked/Endowment Fund) से एवं अन्य सहायक (Subsidiary) खातों से जोड़ी गई आस्तियां तथा उन पर लगाए गए मूल्यह्रास (Depreciation) को अचल आस्तियों की मुख्य अनुसूची 04 की उप अनुसूची ए, बी, सी एवं डी में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है।
- 3.3 अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास, सीधी लाइन प्रणाली (Straight line method) से लगाया गया है। 30 सितंबर 2019 से पूर्व खरीदी गई आस्तियों पर पूर्ण वर्ष हेतु मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है एवं 30 सितंबर 2019 के पश्चात् खरीदी गई आस्तियों पर अर्धवार्षिक आधार पर मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।
- 3.4 पूर्व वर्षों में लगाए गए अतिरिक्त मूल्य ह्रास को वर्ष के दौरान समायोजित किया गया है।

4. शासकीय अनुदान / सहायता

- 4.1 शासकीय अनुदान / सहायता का लेखा, वसूली / प्राप्ति आधार (Realization) पर किया गया है।
- 4.2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019–20 हेतु अनुदान सहायता के रूप में रु 26.10 करोड़ स्वीकृत किए गए। (योजनांतर्गत वेतन हेतु रु 10.60 करोड़, सामान्य खर्च हेतु रु 13.00 करोड़ व पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु रु 2.50 करोड़)। रु 16.94 करोड़ विगत वित्तिय वर्ष की अव्ययी राशि रही। वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय के लिए कुल रु. 43.04 करोड़ रूपये उपलब्ध थे। कुल उपलब्ध राशि में से, 59.26 करोड़ रूपये (वेतन – 17.71 करोड़ रूपये, सामान्य खर्च – 21.75 करोड़ रूपये, पूंजीगत आस्तियां रूपये 19.80 करोड़), स्वीकृति शर्तों के अनुसार आंतरिक कॉर्पस से 15.87 करोड़ उपयोग की गई। उपयोग न हुई शेष राशि, चालू देयताओं की अनुसूची 03 के अंतर्गत देयताओं में दिखाई गई है अनुदान सहायता की कमी को पूरा करने के लिए कॉर्पस से ऋण लिया गया है।
- 4.3 अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को केंद्रीय भाग छात्रवृत्ति योजना के तहत, वित्त वर्ष 2019-20 हेतु रु 10.91 लाख की अनुदान राशि प्राप्त हुई थी। साथ ही पूर्व वर्ष की अप्रयुक्त राशि रु 32.81 लाख थी। इस प्रकार उपलब्ध कुल राशि में से रु 37.12 लाख का उपयोग इस वित्त वर्ष के दौरान किया गया। उपयोग न हुई शेष राशि रु 6.60 को अगले वित्त वर्ष में उपयोग किया जाएगा।

5. संस्थान की आंतरिक कॉर्पस निधि

अधिशासी मंडल (Board of Governors) के अनुमोदन के अनुसार संस्थान द्वारा स्वयं के संसाधनों से प्राप्त आय से स्वयं की आंतरिक रक्षित निधि निर्मित की गई है।

6. संस्थान की क्षमता एवं सामर्थ्य



क्रमांक	विवरण	आंकड़े
i)	छात्र संख्या	1564
ii)	अध्यापकों की स्वीकृत संख्या नियुक्त संख्या	84 63
iii)	अध्यापकों का वेतन ढांचा	पे लेवल 10 11 12 13A1 13A2 14A

7. छात्र शुल्क खाता

छात्रों से दिसंबर 2019-जनवरी 2020 के दौरान जनवरी-जून 2020 सेमेस्टर हेतु प्राप्त शुल्क का अर्जन आधार (Accrual basis) पर लेखा किया गया है। अतः वित्त वर्ष 2020-21 हेतु प्राप्त शुल्क रु 2,85,52,060/- को अनुसूची 3 में चालू देयताओं में दर्शाया गया है।

8. जमा देयताएं

अमानत जमा (Earnest Money) एवं प्रतिभूति (Security) से प्राप्त एवं शेष रु 97.97 लाख की राशि, अदावाकृत जमा (Unclaimed Deposits) है।

9. विदेशी मुद्रा में व्यय

- ए) यात्राएं
- बी) मानदेय
- सी) अन्य

10. चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम एवं जमाएं

प्रबंधन के मत में, चालू आस्तियों, ऋण, अग्रिम एवं जमाओं का रिलाइजेबल मूल्य, सामान्यतः (In ordinary course) कम से कम तुलन पत्र में दर्शाई गई सकल राशि (Aggregate amount) के बराबर है।

11. विविध

- i) संबंधित पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक हो, तुलना योग्य बनाने हेतु पुनः समूहबद्ध (Re-grouped) किया / जमाया (Re-arranged) गया है।
- ii) लेखापरीक्षा शुल्क (Audit Fee) हेतु प्रावधान किया गया है।



- iii) चिन्हित निधियों (Earmarked Funds) पर बैंक में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज को, संबंधित चिन्हित निधि के खाते में जमा किया गया है।
- iv) निम्नांकित सहायक (Subsidiary) खाते संस्थान के मुख्य खाते में शामिल किए गए।
ए) इएल व आई सी टी खाता
बी) स्टार्टअप खाता
सी) क्यू आई पी
- (v) निम्नांकित सहायक (Subsidiary) खाते सीए द्वारा अलग से तैयार एवं ऑडिट किये गए हैं
ए) हॉल-1 का हॉल प्रबंधन खाता
बी) छात्र लाभ खाता (जिस खाना खाता)
सी) पुस्तकालय खाता
- (vi) परियोजना निधि, व्यावसायिक विकास निधि, हॉल प्रबंधन लेखा और छात्र लाभ खातों से पूँजीगत परिसंपत्तियां (Capital Assets) निर्मित की गईं।
- (vii) संलग्न (Annexed) अनुसूची 01 से 24, 31.03.2020 के तुलन पत्र (Balance Sheet) एवं उसी तिथि को समाप्त वर्ष हेतु आय-व्यय खाते का अविभाज्य भाग (Integral Part) है।
12. नई पेंशन योजना के खातों का स्वामित्व, संस्थान की बजाए, उस योजना के सदस्यों के पास ही है। इसलिए ये खाते संस्थान के खातों का भाग नहीं है। वित्त वर्ष 2019-20 हेतु, नई पेंशन योजना संबंधी प्राप्ति एवं भुगतान खाता (Receipt & Payment Account), आय-व्यय खाता (Income & Expenditure Account) (अर्जन आधार (Accrual basis) पर) एवं तुलन पत्र (Balance Sheet) संस्थान के खातों के साथ संलग्न (Attach) किया गया है। नई पेंशन योजनाके तहत मार्च 2020 तक, जिन्हें प्रान नंबर आवंटित हो चुका है, जिससे संबंधित एक बड़ी निधि (रु11.07 करोड़) नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (NSDL)–सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) को अंतरित की जा चुकी है।

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



परिवेश द्वारका प्रसाद मिशन भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनियोग संस्थान, जबलपुर
प्राप्ति और भुगतान खाता
वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए

राशि रूपये रु.

सं.क्र..	प्राप्तिया	चालू वर्ष 2019–20	पूर्व वर्ष 2018–19	सं.क्र..	भुगतान	चालू वर्ष 2019–20	पूर्व वर्ष 2018–19
I) आपेनिंग बैंकेस					I) व्यय		
A) केंश बैंकेस	0	0	0	A) कमर्चरी भुगतान एवं लाभ	65,98,328	50,70,544	
B) बैंक बैंकेस				B) शैक्षणिक खर्च	7,95,03,163	6,26,10,403	
1) SBI अनुदान खाता	2,39,265	2,36,797	2,36,797	C) प्रशारानेक और सामान्य खर्च	3,21,28,419	3,14,91,963	
2) इलाहाबाद बैंक छात्र शूलक खाता, जबलपुर	0	0	0	D) परिवहन खर्च	6,01,119	8,95,881	
3) इलाहाबाद बैंक छात्र शूलक खाता, जबलपुर	5,36,97,199	2,40,25,661	2,40,25,661	E) मरम्मत और रख रखाव	48,31,396	16,65,419	
4) इलाहाबाद बैंक अनुदान चालू खाता	2,27,695	1,72,068	1,72,068	F) वित्त लागत	19,788	9,008	
5) परियोजना खाता							
ए) इलाहाबाद बैंक SERB परियोजना खाता	0	0	0	II) निधिरित / बंदोबस्ती धन के खिलाफ भुगतान	1,01,76,693	3,74,53,393	
बी) इलाहाबाद बैंक परियोजना खाता	3,69,20,017	7,84,29,286	7,84,29,286	III) प्रायोजित परियोजनाओं / योजनाओं के खिलाफ भुगतान	32,58,853	3,06,94,093	
सी) ई और आईसीटी अकादमी खाता	28,41,614	8,89,71,700	IV) प्रायोजित फैलोशिप और छात्रवृत्ति के खिलाफ भुगतान		0	0	
डी) स्टार्टअप खाता	3,860	4,35,631	A) कंट्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति		6,71,700	15,95,631	
ई) QIP AICTE खाता	44,91,696	8,00,737	B) विदेशी छात्रवृत्ति		69,17,700	38,29,200	
6) इलाहाबाद बैंक अनुदान बचत खाता	24,91,56,871	4,72,71,324	V) निवेश और जमा				
7) एसवीआई टिकट खाता	418	1,12,848	A) निधिरित / निधि के अतिरिक्त फंड		0	8,00,00,000	
8) परिस्पर बैंक	97,46,502	0	B) लवय के धन से बाहर (निवेश – अन्य)		0	25,86,87,260	
10) सहायक बैंक खाते			VI) अप्रूवित बैंकों के साथ सावधि जमा				
क) होल 01	0	56,98,268	A) निवेश और जमा		35,00,00,000	0	
ख) होल 03	0	1,10,40,372	B) निवेश और जमा (खाताक लेखा)			0	
ग) होल 04	0	47,63,78	VII) व्यय				
घ) जिमखाना	0	81,93,295	A) अवल संपत्तियों की खपेदी		2,36,57,902	1,73,58,083	
छ) प्रुत्रकालय	0	4,46,385	B) पूंजी कार्य में ग्राति पर व्यय		0	0	
II) अनुदान प्राप्त			VIII) वैद्यानिक भुगतान				
A) भारत सरकार से (झमएवआरडी) (योजना) – सामान्य	13,00,00,000	12,82,74,814	A) एसासिशन युल्क (अन्य संस्थान)		0	0	
B) परिस्पत्रियों के सृजन के लिए	2,50,00,000	57,00,00,000	B) जीआईएस (अन्य संस्थान)		6,600	7,200	
C) लिए	10,60,00,000	9,00,00,000	C) सामान्य भविष्य निधि (अन्य संस्थान)		55,000	60,000	
III) शैक्षणिक शूलक			D) जीएसपलआईएस		2,49,888	2,54,918	
A) शैक्षणिक फीस	13,39,54,393	13,32,10,573	E) प्रोफेशनल कर पौँड		1,38,556	2,39,672	
			F) डब्ल्यू सी ई पौँड		0	0	



पांडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूक्वना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
प्राप्ति और भुगतान खाता
वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए

सं.क्र.	प्राप्तिया	वार्ता० वर्ष 2019–20		पूर्व वर्ष 2018–19		सं.क्र..	भुगतान	वार्ता० वर्ष 2019–20		पूर्व वर्ष 2018–19	
		राशि रुपये में	राशि रुपये में	राशि रुपये में	राशि रुपये में			राशि रुपये में	राशि रुपये में	राशि रुपये में	राशि रुपये में
B)	अधिम फीस प्राप्ति	0	5,55,600	G)	श्रम कल्याण उपकर			11,898		11,383	
C)	छात्र कॉस्टन मर्नी	36,000	0	H)	नई० मैरेन			2,83,52,378		2,19,54,290	
D)	पूर्व उप छात्र संघ	3,45,000	0	I)	टीडीएस भुगतान			2,68,49,024		2,34,02,374	
E)	छात्र कल्याण कोष	0	0	J)	जीएसटी भुगतान			45,02,437		970164	
F)	अतिरिक्त जमा शुल्क	0	23,222	K)	वैट का भुगतान			0			
G)	हाल प्रबंधन खाता	0	0	L)	झजा दिवस योगदान			8,250			
H)	छात्र लाम खाता	0	0	M)	अनुदान के रिफ़ड						
IV	निधारित/ बदोबरती धन के खिलाफ प्राप्तिया	2,50,91,031	2,93,49,759	N)	जमा एवं अधिम			15,06,10,000		38,12,85,193	
V	प्राप्तिया	1,73,66,093	-7,22,34,432	O)	सोपांडक्यूटी, भाषाल						
	प्राप्तिया जलोषित के खिलाफ			P)	डॉजीरसप्टेंडडी						
VI	प्राप्तिया			Q)	अधिम रोबकॉन के लिए						
A)	केंद्रीय शेत्र की आत्रवृत्ति प्राप्ति	10,91,675	35,09,496	R)	कर्मचारी और अन्य के लिए अधिम			1,33,21,668		22,99,916	
B)	विदेशी आत्रवृत्ति	69,23,700	37,75,200	S)	स्टार्टअप						
VII	निवेश से आय प्र			T)	अधिम करने के लिए पनाहीरीएसआई						
A)	निधारित/ बदोबरती धन	0	0	U)	सुखा जमा राशि			0		0	
B)	अन्य निवेश	0	0	V)	इमर्जेंसी और पैकेजेंसी			24,84,600		57,85,491	
C)	अन्य निवेश (सहायक लेखा)	0	27,09,818	W)	सुखा जमा- एमपीपीकेवीसीएसएल			0		0	
VIII	प्राप्त व्याज			X)	डीवीपी को अधिम			0		0	
A)	प्राप्त व्याज	96,62,140	86,96,822	Y)	अनुकूलन कार्यालय के लिए अधिम			0		0	
B)	प्राप्त व्याज (सहायक लेखा)			Z)	टी एफ आर अही को अधिम			0		0	
IX	निवेश मुद्राया	0	0	A)	नवाचार परियोजना के लिए अधिम			0		0	
X	अनुसूचित बैंकों के साथ सावधि जमा मुद्राया			B)	अन्य भुगतान						
A)	निवेश और जमा परिपक्व संख्यान	27,70,00,000	25,04,63,428	C)	हॉल प्रबंधन के खाते			70,81,500		70,49,762	
B)	निवेश और जमा परिपक्व ई एंड आईसीटी अकाउटमी	0	8,00,00,000	D)	छात्र लाम खाता			51,20,500		43,27,000	
XI	अन्य आय (पूर्व अवधि आय सहित)			E)	छात्र कल्याण मर्नी			19,79,977		41,000	
A)	अन्य आय	23,51,159	24,92,521	F)	अतिरिक्त जमा शुल्क भुगतान			2,16,66,828		1,20,62,881	
II	जमा अर अधिम			G)	छात्र सभा पैद			0		3,45,000	
A)	इरक्षा जमा राशि	2,95,318		H)	छात्र कल्याण कोष			0		0	
B)	ईमर्जेंसी और पैकेजेंसी	40,10,000	33,56,141	I)	आयकर का भुगतान			0		0	
C)	रोएसएची 2013 के लिए अधिम	1,72,81,500	0	J)	आनलइन परीक्षा व्यापम			0		0	
				K)	अन्य खर्च			2,20,16,350		32,24,854	



पांडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूक्तना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
प्राप्ति और मुगतान खाता
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए

प्राप्तियां		वार्ता, वर्ष 2019-20	पूर्व वर्ष 2018-19	सं.क्र.	मुगतान	वार्ता, वर्ष 2019-20	पूर्व वर्ष 2018-19
D) सुख्खा जमा - एपीएक्सीटीसीएल		0	0	J) प्रावधान मुगतान	11,08,04,525	10,55,26,216	
E) डीजीएसएडडी से वापरी		0	0	K) लेनदारों को मुगतान	11,65,31,805	11,64,35,382	
F) एमईसी-एनडब्ल्यूजी कारेशाला से प्राप्तियां				XII) अतिम् शेष			
G) नवाचार परियोजना से अप्रिय		0	0	A) नकदी सप्तूलन	0	0	
H) कर्मचारियों और अन्य के खर्च से अप्रिय		19,42,615	12,94,696	B) बैंक बैंलेस		0	
विवेद प्राप्तियां							
XIII) वैधानिक प्राप्तियां सहित							
A) इसोसिएशन शुल्क (अन्य संस्थान)		0	0	1) SBI अनुदान खाता	2,38,616	2,39,265	
B) जीआईएस (अन्य संस्थान)		0	0	2) इलाहाबाद बैंक छात्र शुल्क खाता, जबलपुर	31,463,83	0	
C) समान्य भविष्य निधि (अन्य संस्थान)		0	0	3) इलाहाबाद बैंक छात्र शुल्क खाता, जबलपुर	8,094	5,36,97,199	
D) जीएसएलआईएस		0	0	4) इलाहाबाद बैंक अनुदान चालु खाता	2,94,278	2,27,695	
E) ग्राफेशनल कर		208	208	5) परियोजना खाता			
F) डब्ल्यू सी टी				6) इलाहाबाद बैंक SERB परियोजना खाता	37,07,410	0	
G) श्रम करन्याण उपकर		95,398	335	7) बी) इलाहाबाद बैंक परियोजना खाता	2,74,39,470	3,69,20,017	
H) नई पेंशन			0	8) सी) ई और आईपीटी अकादमी खाता	85,48,817	28,41,614	
I) टीडीएस		29,84,389	44,73,737	9) QIP AICTE खाता	43,20,786	44,91,696	
J) डैट		0	4,59,098	10) इलाहाबाद बैंक अनुदान बचत खाता	3,23,92,990	24,91,56,871	
K) झुड़ा दिवस योगदान		8,250		11) एसीआई टिकट खाता	303	418	
L) जोखमों के लिए		14,83,107		12) एक्सीस बैंक	2,73,32,669	97,46,502	
M) वित्तीय संपर्कवेत्र		30,952		13) सहायक बैंक खाते			
XIV कोई अन्य प्राप्तियां				14) हैंल 01	0	51,55,916	
A) एनपीएस खाता और अन्य		0	85,25,626	15) हैंल 03	0	1,30,75,379	
B) अन्य रस्तों		1,97,33,178	64,27,188	16) हैंल 04	0	64,94,396	
C) छात्र द्वारा प्राप्त		17,60,000	1,59,95,488	17) जिमखाना	0	1,01,58,103	
D) खातों से प्राप्त		0	7,52,31,442	18) डी.जी.	0	20,49,445	
E) कम्प्यूटर की अवधारी से प्राप्ती		0	0	19) पुस्तकालय	0	5,19,266	
F) परियोजना परमश्रृंखला		0	0				
				XV) कोई अन्य मुगतान			
				1) शुल्क प्राप्त छात्र			
				2) परियोजना खाते पर व्याज का मुगतान किया			
				3) मुगतान योग्य देय	12,79,567	57,11,474	
				4) मुगतान योग्य देय			
कुल		114,17,71,244	161,71,96,698	कुल	114,17,71,244	161,71,96,698	

Govt.
 (एस. डी. गडेकर)
उप कुलसभिय (वि. ले.)

Jay
 (संजीव जेन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
एनपीएस टीयर-1 खाता
31 मार्च 2020 को आर्थिक चिट्ठा

राशि रुपये में

दायित्व	राशि	संपत्ति	राशि
एनपीएस टीयर 1 खाता		एनपीएस टीयर 1 खाता	
प्रारंभिक जमा	12,972		
		कर्मचारी सदस्यता मार्च 2019–20	0
कमी		संस्थान योगदान मार्च 2019–20	0
कर्मचारी सदस्यता मार्च 2018–19	-		
संस्थान योगदान मार्च 2018–19	-		
वृद्धि :		निवेश	0
कर्मचारी सदस्यता	1,20,58,372		
संस्थान योगदान	1,64,04,921	अर्जित ब्याज लेकिन कारण नहीं	0
		बैंक में शेष	1,23,887
वृद्धि : ब्याज का श्रेय	0		
कमी : एनएसडीएल को स्थानांतरित	(2,83,52,378)		
कुल	1,23,887	कुल	1,23,887

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

एनपीएस टीयर-1 खाता
वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आय और व्यय लेखा

राशि रूपये में

व्यय	राशि	आय	राशि
सब्सक्राइबर के खाते में जमा ब्याज	0	निवेश पर अर्जित ब्याज	0
		बैंक बचत खाते पर अर्जित ब्याज	0
बैंक शुल्क	0	बैंक प्रभार	0
		अर्जित ब्याज लेकिन कारण नहीं	0
आय का व्यय पर आधिकाय	0		
कुल	0	कुल	0

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव(संजीव जैन)
निदेशक



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

**एनपीएस टीयर-1 खाता
वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता**

राशि रूपये में

व्यय	राशि	आय	राशि
01.04.2019 को ओपनिंग बैलेंस	12,972	निवेश	0
एनपीएस टीयर 1 खाता			
कर्मचारी सदस्यता	1,20,58,372	एनएसडीएल के लिए वापसी /रिफंड	2,83,52,378
संस्थान योगदान	1,64,04,921	लिजेसी राशि का भुगतान	0
निवेश पर प्राप्त ब्याज	0		
		31.03.2020 को क्लोसिंग बैलेंस	1,23,887
बचत बैंक एकाउंट पर ब्याज	0		
निवेश भुनाया	0		
कुल	2,84,76,265	कुल	2,84,76,265

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए
[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2019–20 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र
अनुदान (समेकित)

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : आवर्ती एवं अनावर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2019–20 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (i) नकदी / बैंक में : (10518419.8),
 - (ii) असमायोजित अग्रिम: 0.00
 - (iii) कुल: रु. (105183419.8)

4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

अनुदान की अवधी राशि प्राप्त की आकड़े सरल क्र. 3(3) अनुसार)	उस पर व्याज अर्जित किया गया	सरकार को वापस किया व्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध धनराशि (1 + 2 – 3 + 4)	कुल व्यय	अंतिम शेष (5–6)
1	2	3	4			5	6	7
			स्वीकृति संख्या (1)	दिनांक (2)	राशि (3)			
(105183419.8)	3090560		F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-4/2019-TS-I F.NO. 47-4/2019-TS-I	14-05-2019 14-06-2019 21-06-2019 28-08-2019 24-09-2019 14-02-2020	40000000 40000000 15000000 70000000 36000000 60000000	158907140.2	592641708.5	(433734568.3)
(105183419.8)	3090560		कुल		26100000	158907140.2	592641708.5	(433734568.3)

अनुदानों का घटक वार उपयोग:

अनुदान सामान्य (समेकित)	अनुदान – वेतन (समेकित)	अनुदान – पुंजीगत संपत्तियों के निर्माण (समेकित)	कुल
217517522.5	177098823	198025363	592641708.5

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (i) नकदी / बैंक में: (433734568.3) ऋण राशि प्रतिदेय
- (ii) असमायोजित अग्रिम:
- (iii) कुल: (433734568.3)



प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्टरों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम/नियम / स्थायी निर्देश (अधिनियम/नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों/खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आंकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों/संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों को उपलब्धियों को देखने, आस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम/नियम/स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा-निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संरथान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन/लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी हैं।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – बी
[नियम देखें 256(2)]

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप

1. प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2019–20 के दौरान संस्थान के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुल ऋण रु 15,87,08,628.61 में से रु. 7,07,92,136 (वेतन सहायता में), रु. 8,71,35,876.54 (सामान्य सहायता में) एवं रु. 7,80,616.07 (पूँजीगत परिसंपत्तियाँ) स्वीकृत किए गये। जिसमें रु. 15,87,08,628.61 का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे मंजूरी प्राप्त हुई थी, और शेष राशि रु. शून्य अप्रयुक्त रही इसे अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान—सहायता से देय ऋण की ओर समायोजित किया जाएगा।
2. प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के आधार पर ऋण मंजूर किया गया था, वे पूरी तरह से पूर्ण की गई हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

प्रयोग हेतु जांच के प्रकार –

1. आंतरिक अंकेक्षण

Ecellence

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

Ecellence

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

S. J.

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2019–20 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र–आवर्ती अनुदान सामान्य (समेकित)

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : आवर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2019–20 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (i) नकदी / बैंक में: (22,18,93,381.8) ऋण राशि प्रतिदेय
 - (ii) असमायोजित अग्रिम : शून्य
 - (iii) कुल : (22,18,93,381.8)
4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

अनुदान की अवधी राशि प्राप्त की (आकड़े सरल क्र. 3(3) अनुसार)	उस पर ब्याज अर्जित किया गया	सरकार को वापस किया ब्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	कुल उपलब्ध धनराशि (1 + 2 – 3 + 4)	कुल व्यय	अंतिम शेष (5–6)		
1	2	3	4	5	6	7		
			स्वीकृति संख्या (1)	दिनांक (2)	राशि (3)			
(221893381.8)	381646		F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I	14/05/2019 14/06/2019 28/08/2019 24/09/2019 14/02/2020	20000000 20000000 40000000 20000000 30000000	(91511735.8)	217517522.5	(309029258.3)
(221893381.8)	381646		कुल		130000000	(91511735.8)	217517522.5	(309029258.3)

अनुदानों का घटक वार उपयोग:

अनुदान सामान्य (समेकित)	अनुदान – वेतन	अनुदान – पुंजीगत संपत्तियों के निर्माण	कुल
217517522.5	-	-	217517522.5

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (1) नकदी / बैंक में : (309029258.3) ऋण राशि प्रतिदेय
- (2) असमायोजित अग्रिम : शून्य
- (3) कुल : रु. (309029258.3)



प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्टर (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम /नियम / स्थायी निर्देश (अधिनियम/नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों/खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आंकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों / संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों को देखने, आर्सित निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन–देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियम/स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हों।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा–निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन/लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी हैं।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – बी

[नियम देखें 256(2)]

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप

1. प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2019–20 के दौरान संस्थान के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुल ऋण रु 8,71,35,876.54 स्वीकृत किए गये। जिसमें से रु. 8,71,35,876.54 का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे मंजूरी प्राप्त हुई थी, और शेष राशि रु. शून्य अप्रयुक्त रही इसे अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान—सहायता से देय ऋण की ओर समायोजित किया जाएगा।
2. प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के आधार पर ऋण मंजूर किया गया था, वे पूरी तरह से पूर्ण की गई हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

प्रयोग हेतु जांच के प्रकार –

1. आंतरिक अंकेक्षण

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2019–20 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र–आवर्ती सामान्य अनुदान (सामान्य श्रेणी)

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : आवर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2019–20 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति

- (i) नकदी / बैंक में : (14,94,88,265.3) ऋण राशि प्रतिदेय
- (ii) असमायोजित अग्रिम : शून्य
- (iii) कुल : (14,94,88,265.3)

4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

अनुदान की अवधी राशि प्राप्त की (आकड़े सरल रु. 3(3) अनुसार)	उस पर व्याज अर्जित किया गया	सरकार को वापस किया व्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	कुल उपलब्ध धनराशि (1 + 2 – 3 + 4)	कुल व्यय	अंतिम शेष (5–6)		
1	2	3	4	5	6	7		
			स्वीकृति संख्या (1)	दिनांक (2)	राशि (3)			
(149488265.3)	295775.65		F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I	14/05/2019 14/06/2019 28/08/2019 24/09/2019 14/02/2020	17550000 17550000 35000000 15000000 25000000	(39092489.65)	168576080	(207668569.6)
(149488265.3)	395775.65		कुल		110100000	(39092489.65)	168576080	(207668569.6)

अनुदानों का घटक वार उपयोग:

अनुदान सामान्य (सामान्य श्रेणी)	अनुदान – वेतन	अनुदान – पुंजीगत संपत्तियों के निर्माण	कुल
168576080	-	-	168576080

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (1) नकदी / बैंक में : (207668569.6) ऋण राशि प्रतिदेय
- (2) असमायोजित अग्रिम : शून्य
- (3) कुल : रु.(207668569.6)



प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्टरों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम/नियम / रथायी निर्देश (अधिनियम/नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों/खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों/संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों को देखने, आस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियम / रथायी निर्देशों और योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हों।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा-निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन/लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी हैं।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – बी

[नियम देखें 256(2)]

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप

- (1) प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2019–20 के दौरान संस्थान के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुल ऋण रु 6,75,30,304.32 स्वीकृत किए गये। जिसमें से रु. 6,75,30,304.32 का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे मंजूरी प्राप्त हुई थी, और शेष राशि रु. शून्य अप्रयुक्त रही इसे अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान–सहायता से देय ऋण की ओर समायोजित किया जाएगा।
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के आधार पर ऋण मंजूर किया गया था, वे पूरी तरह से पूर्ण की गई हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

प्रयोग हेतु जांच के प्रकार –

1. आंतरिक अंकेक्षण

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2018–19 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र–आवर्ती सामान्य अनुदान (अनुसूचित जाति श्रेणी)

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : आवर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2019–20 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (i) नकदी / बैंक में : (4,70,71,499.8) ऋण राशि प्रतिदेय
 - (ii) असमायोजित अग्रिम : शून्य
 - (iii) कुल : (4,70,71,488.8)

4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

अनुदान की अवधी राशि प्राप्त की (आकड़े सरल क्र. 3(3) अनुसार)	उस पर व्याज अर्जित किया गया	सरकार को वापस किया व्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	कुल उपलब्ध धनराशि (1 + 2 – 3 + 4)	कुल व्यय	अंतिम शेष (5–6)	
1	2	3	4	5	6	7	
(47071499.8)	57246.9		स्वीकृति संख्या (1) F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I	दिनांक (2) 14/05/2019 14/06/2019 28/08/2019 24/09/2019 14/02/2020	राशि (3) 1650000 1650000 3300000 3500000 3500000	(33414252.9) 38	32627628. 38 (66041881.28)
(47071499.8)	57246.9		कुल		13600000 (33414252.9)	32627628. 38 (66041881.28)	

अनुदानों का घटक वार उपयोग:

अनुदान सामान्य (अनुसूचित जाति श्रेणी)	अनुदान – वेतन	अनुदान – पुंजीगत संपत्तियों के निर्माण	कुल
32627628.38	-	-	32627628.38

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (i) नकदी / बैंक में : (66041881.28) ऋण राशि प्रतिदेय
- (ii) असमायोजित अग्रिम : शून्य
- (iii) कुल : रु. (66041881.28)



प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्टरों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम/नियम / स्थायी निर्देश (अधिनियम/नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों/खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आकड़ों के साथ भी आकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों/संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों को देखने, आस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियम/स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा-निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन / लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी हैं।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – बी

[नियम देखें 256(2)]

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप

- (1) प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2019–20 के दौरान संस्थान के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुल ऋण रु 1,30,70,381.48 रुपीकृत किए गये। जिसमें से रु. 1,30,70,381.48 का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे मंजूरी प्राप्त हुई थी, और शेष राशि रु. शून्य अप्रयुक्त रही इसे अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान–सहायता से देय ऋण की ओर समायोजित किया जाएगा।
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के आधार पर ऋण मंजूर किया गया था, वे पूरी तरह से पूर्ण की गई हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

प्रयोग हेतु जांच के प्रकार –

1. आंतरिक अंकेक्षण

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ल.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2019–20 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र–आवर्ती सामान्य अनुदान (अनुसूचित जनजाति श्रेणी)

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : आवर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2018–19 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (i) नकदी / बैंक में : (2,53,33,616.8) ऋण राशि प्रतिदेय
 - (ii) असमायोजित अग्रिम : शून्य
 - (iii) कुल: रु (2,53,33,616.8)

4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

अनुदान की अव्ययी राशि प्राप्त की (आकड़े सरल क्र. 3(3) अनुसार)	उस पर व्याज प्राप्त की गया	सरकार को वापस किया व्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध धनराशि (1 + 2 – 3 + 4)	कुल व्यय	अंतिम शेष (5–6)
1	2	3	4			5	6	7
			खीकृति संख्या (1)	दिनांक (2)	राशि (3)			
(25333616.8)	28623.45		F.NO. 47-1/2019-TS-1 F.NO. 47-1/2019-TS-1 F.NO. 47-1/2019-TS-1 F.NO. 47-1/2019-TS-1 F.NO. 47-1/2019-TS-1 F.NO. 47-1/2019-TS-1	14/05/2019 14/06/2019 28/08/2019 24/09/2019 14/02/2020	800000 800000 1700000 1500000 1500000	(19004993.35)	16313814.19	(35318807.54)
(25333616.8)	28623.45		कुल		6300000	(19004993.35)	16313814.19	(35318807.54)

अनुदानों का घटक वार उपयोग:

अनुदान सामान्य (अनुसूचित जनजाति श्रेणी)	अनुदान – वेतन	अनुदान – पुंजीगत संपत्तियों के निर्माण	कुल
16313814.19	-	-	16313814.19

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (i) नकदी / बैंक में : (35318807.54) ऋण राशि प्रतिदेय
- (ii) असमायोजित अग्रिम : शून्य
- (iii) कुल : रु. (35318807.54)



प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण / या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्टरों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम / नियम / स्थायी निर्देश (अधिनियम / नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों / खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों / संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों को देखने, आस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन–देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियम / स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा–निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन / लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी हैं।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ल.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – बी

[नियम देखें 256(2)]

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप

1. प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2019–20 के दौरान संस्थान के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा रु 65,35,190.74 स्वीकृत किए गये। रु. 65,35,190.74 का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे मंजूरी प्राप्त हुई थी, और शेष राशि रु. शून्य अप्रयुक्त रही इसे अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान–सहायता से देय ऋण की ओर समायोजित किया जाएगा।

2. प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के आधार पर ऋण मंजूर किया गया था, वे पूरी तरह से पूर्ण की गई हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

प्रयोग हेतु जांच के प्रकार –

1. आंतरिक अंकेक्षण

Excellence

(एस. डी. गड़ेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

Excellence

(एस. डी. गड़ेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

S. Jain

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2019–20 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र–आवर्ती अनुदान– वेतन (समेकित)

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : आवर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2019–20 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (i) नकदी / बैंक में : (3,21,32,558) ऋण राशि प्रतिदेय
 - (ii) असमायोजित अग्रिम : शून्य
 - (iii) कुल : (3,21,32,558)
4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

अनुदान की अव्ययी राशि प्राप्त की (आकड़े सरल क्र. 3(3) अनुसार)	उस पर व्याज अर्जित किया गया	सरकार को वापस किया व्याज	वर्ष के दोसरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध धनराशि (1 + 2 – 3 + 4)	कुल व्यय	अंतिम शेष (5–6)
			1	2	3			
			स्वीकृति संख्या (1)	दिनांक (2)	राशि (3)			
(32132558)	306687		F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-1 F.NO. 47-1/2019-TS-1 F.NO. 47-1/2019-TS-1 F.NO. 47-1/2019-TS-1	14/05/2019 14/06/2019 28/08/2019 24/09/2019 14/02/2020	20000000 20000000 20000000 16000000 30000000	74174129	177098823	(102924694)
(32132558)	306687	कुल			106000000	74174129	177098823	(102924694)

अनुदानों का घटक वार उपयोग:

अनुदान सामान्य	अनुदान – वेतन (समेकित)	अनुदान – पुंजीगत संपत्तियों के निर्माण	कुल
-	177098823	-	177098823

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (i) नकदी / बैंक में : (102924694) ऋण राशि प्रतिदेय
- (ii) असमायोजित अग्रिम : शून्य
- (iii) कुल : रु. (102924694)



प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण / या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्टरों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम / नियम / स्थायी निर्देश (अधिनियम / नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों / खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों / संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों को उपलब्धियों को देखने, आस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन–देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियम / स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हों।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा–निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन / लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी हैं।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – बी

[नियम देखें 256(2)]

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप

- प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2019–20 के दौरान संस्थान के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा रु 7,07,92,136 ऋण के अतिरिक्त स्वीकृत किए गये। जिसमें से रु.7,07,92,136 का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे मंजूरी प्राप्त हुई थी, और शेष राशि रु. शून्य अप्रयुक्त रही इसे अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान—सहायता से देय ऋण की ओर समायोजित किया जाएगा।
- प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के आधार पर ऋण मंजूर किया गया था, वे पूरी तरह से पूर्ण की गई हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

प्रयोग हेतु जांच के प्रकार –

- आंतरिक अंकेक्षण

Excellence

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

Excellence

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

S. Jay

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2018–19 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र–आवर्ती अनुदान–वेतन (सामान्य श्रेणी)

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : आवर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2019–20 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (i) नकदी / बैंक में : (1,59,28,374.05) ऋण राशि प्रतिदेय
 - (ii) असमायोजित अग्रिम : शून्य
 - (iii) कुल : (1,59,28,374.05)

4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

अनुदान की अवधी राशि प्राप्त की (आकड़े सरल क्र. 3(3) अनुसार)	उस पर व्याज अर्जित किया गया	सरकार को वापस किया व्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध धनराशि (1 + 2 – 3 + 4)	कुल व्यय	अंतिम शेष (5–6)
			1	2	3			
			स्थीकृति संख्या (1)	दिनांक (2)	राशि (3)			
(15928374.05)	237682.42		F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO.47-1/2019-TS-1 F.NO.47-1/2019-TS-1 F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I	14/05/2019 14/06/2019 28/08/2019 24/09/2019 14/02/2020	17550000 17550000 17550000 14000000 27510000	78469308.43	137251587.82	(58782279.4)
(15928374.05)	237682.42	कुल			94160000	78469308.43	137251587.82	(58782279.4)

अनुदानों का घटक वार उपयोग:

अनुदान सामान्य	अनुदान – वेतन (सामान्य श्रेणी)	अनुदान – पुंजीगत संपत्तियों के निर्माण	कुल
-	137251587.82	-	137251587.82

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (i) नकदी / बैंक में : (58782279.4) ऋण राशि प्रतिदेय
- (ii) असमायोजित अग्रिम : शून्य
- (iii) कुल : रु. (58782279.4)



प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण / या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हैं तु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्टरों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम / नियम / स्थायी निर्देश (अधिनियम / नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों / खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आंकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों / संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों को देखने, आस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन–देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियम / स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा–निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन / लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी हैं।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – बी

[नियम देखें 256(2)]

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप

- प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2019–20 के दौरान संस्थान के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा रु 5,48,63,905.4 ऋण के अतिरिक्त स्वीकृत किए गये। जिसमें से रु. 5,48,63,905.4 का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे मंजूरी प्राप्त हुई थी, और शेष राशि रु. शून्य अप्रयुक्त रही इसे अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान—सहायता से देय ऋण की ओर समायोजित किया जाएगा।
- प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के आधार पर ऋण मंजूर किया गया था, वे पूरी तरह से पूर्ण की गई हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

प्रयोग हेतु जांच के प्रकार –

- आंतरिक अंकेक्षण

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2019–20 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र–आवर्ती अनुदान–वेतन (अनुसूचित जाति श्रेणी)

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : आवर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2019–20 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (i) नकदी / बैंक में : (1,44,57,814.3) ऋण राशि प्रतिदेय
 - (ii) असमायोजित अग्रिम : शून्य
 - (iii) कुल : (1,44,57,814.3)
4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

अनुदान की अव्ययी राशि प्राप्त की (आकड़े सरल क्र. 3(3) अनुसार)	उस पर ब्याज अर्जित किया गया	सरकार को वापस किया ब्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	कुल उपलब्ध धनराशि (1 + 2 – 3 + 4)	कुल व्यय	अंतिम शेष (5–6)		
1	2	3	4	5	6	7		
			स्वीकृति संख्या (1)	दिनांक (2)	राशि (3)			
(1445781 4.3)	46003.05		F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I	14/05/2019 14/06/2019 28/08/2019 24/09/2019 14/02/2020	1650000 1650000 1650000 1400000 500000	(7561811.25)	26564823.45	(34126634.7)
(1445781 4.3)	46003.05		कुल		6850000	(7561811.25)	26564823.45	(34126634.7)

अनुदानों का घटक वार उपयोग:

अनुदान सामान्य	अनुदान – वेतन (अनु जाति श्रेणी)	अनुदान – पुंजीगत संपत्तियों के निर्माण	कुल
-	26564823.45	-	26564823.45

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (i) नकदी / बैंक में : (34126634.7) ऋण राशि प्रतिदेय
- (ii) असमायोजित अग्रिम : शून्य
- (iii) कुल : रु. (34126634.7)



प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्टरों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम/नियम/स्थायी निर्देश (अधिनियम/नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों/खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों/संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों को उपलब्धियों को देखने, अस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम/नियम/स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा-निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन/लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी हैं।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – बी

[नियम देखें 256(2)]

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप

- प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2019–20 के दौरान संस्थान के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा रु 1,06,18,820.4 ऋण के अतिरिक्त स्वीकृत किए गये। जिसमें से रु.1,06,18,820.4 का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे मंजूरी प्राप्त हुई थी, और शेष राशि रु. शून्य अप्रयुक्त रही इसे अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान—सहायता से देय ऋण की ओर समायोजित किया जाएगा।
- प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के आधार पर ऋण मंजूर किया गया था, वे पूरी तरह से पूर्ण की गई हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

प्रयोग हेतु जांच के प्रकार –

- आंतरिक अंकेक्षण

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2019–20 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र–आवर्ती अनुदान–वेतन (अनुसूचित जनजाति श्रेणी)

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : आवर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2019–20 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (i) नकदी / बैंक में : (17,46,369.65) ऋण राशि प्रतिदेय
 - (ii) असमायोजित अग्रिम : शून्य
 - (iii) कुल : (17,46,369.65)
4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

अनुदान की अवधी राशि प्राप्त की (आकड़े सरल क्र. 3(3) अनुसार)	उस पर व्याज अंजित किया गया	सरकार को वापस किया व्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध धनराशि (1 + 2 – 3 + 4)	कुल व्यय	अंतिम शेष (5–6)
			1	2	3			
			स्वीकृति संख्या (1)	दिनांक (2)	राशि (3)	3266631.87	13282411.72	(10015779.85)
(1746369 .65)	23001.52	F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I F.NO. 47-1/2019-TS-I	14/05/2019 14/06/2019 28/08/2019 24/09/2019 14/02/2020	800000 800000 800000 600000 1990000				
(1746369 .65)	23001.52	कुल			4990000	3266631.87	13282411.72	(10015779.85)

अनुदानों का घटक वार उपयोग:

अनुदान सामान्य	अनुदान – वेतन (अनु. जनजाति श्रेणी)	अनुदान – पुंजीगत संपत्तियों के निर्माण	कुल
-	13282411.72	-	13282411.72

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (i) नकदी / बैंक में : (10015779.85) ऋण राशि प्रतिदेय
- (ii) असमायोजित अग्रिम : शून्य
- (iii) कुल : रु. (10015779.85)



प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्टरों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम/नियम /स्थायी निर्देश (अधिनियम/नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों/खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों/संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों को देखने, आस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन–देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियम/स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा–निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन/लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी हैं।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – बी

[नियम देखें 256(2)]

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप

- प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2019–20 के दौरान संस्थान के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा रु 53,09,410.2 ऋण के अतिरिक्त स्वीकृत किए गये। जिसमें से रु.53,09,410.2 का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे मंजूरी प्राप्त हुई थी, और शेष राशि रु. शून्य अप्रयुक्त रही इसे अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान—सहायता से देय ऋण की ओर समायोजित किया जाएगा।
- प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के आधार पर ऋण मंजूर किया गया था, वे पूरी तरह से पूर्ण की गई हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

प्रयोग हेतु जांच के प्रकार –

- आंतरिक अंकेक्षण

Excellence

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

Excellence

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

S. Jay

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2018–19 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र–अनावर्ती अनुदान– पूंजीगत सम्पत्तियों का सृजन– समेकित

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : अनावर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2019–20 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (i) नकदी / बैंक में : 14,88,42,520
 - (ii) असमायोजित अग्रिम : 0.00
 - (iii) कुल : 14,88,42,520
4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

अनुदान की अवधी राशि प्राप्त की (आकड़े सरल क्र. 3(3) अनुसार)	उस पर व्याज अर्जित किया गया	सरकार को वापस किया व्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध धनराशि (1 + 2 – 3+ 4)	कुल व्यय	अंतिम शेष (5–6)
1	2	3	4			5	6	7
			स्वीकृति संख्या (1)	दिनांक (2)	राशि (3)			
148842520	2402227		F.NO. 47-1/2019-TS-1 F.NO. 47-1/2019-TS-1	21-06-2019 28-08-2019	15000000 10000000	196335953. 9	198025363	(21780616)
148842520	2402227				25000000	196335953. 9	198025363	(21780616)

अनुदानों का घटक वार उपयोग:

अनुदान सामान्य	अनुदान – वेतन	अनुदान – पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण (समेकित)	कुल
-	-	198025363	198025363

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (i) नकदी / बैंक में : (21780616) ऋण राशि प्रतिदेय
- (ii) असमायोजित अग्रिम : शून्य
- (iii) कुल : रु. (21780616)



प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्टरों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम/नियम /स्थायी निर्देश (अधिनियम/नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों/खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आंकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों/संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों को देखने, आस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन–देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियम / स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा–निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन / लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी हैं।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – बी

[नियम देखें 256(2)]

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप

- प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2019–20 के दौरान संस्थान के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा रु 7,80,616.07 ऋण के अतिरिक्त स्वीकृत किए गये। जिसमें से रु.7,80,616.07 का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे मंजूरी प्राप्त हुई थी, और शेष राशि रु. शून्य अप्रयुक्त रही इसे अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान—सहायता से देय ऋण की ओर समायोजित किया जाएगा।
- प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के आधार पर ऋण मंजूर किया गया था, वे पूरी तरह से पूर्ण की गई हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

प्रयोग हेतु जांच के प्रकार –

1. आंतरिक अंकेक्षण

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. व. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2019–20 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र—अनावर्ती अनुदान—पूंजीगत सम्पत्तियों का सृजन—सामान्य श्रेणी

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : अनावर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2019–20 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (i) नकदी/बैंक में : 17,01,30,661.93 ऋण राशि प्रतिदेय
 - (ii) असमायोजित अग्रिम : 0.00
 - (iii) कुल : 17,01,30,661.93

4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

अनुदान की अवधी राशि प्राप्त की (आकड़े सरल क्र. 3(3) अनुसार)	उस पर व्याज अर्जित किया गया	सरकार को वापस किया व्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध धनराशि (1 + 2 – 3+ 4)	कुल व्यय	अंतिम शेष (5–6)
1	2	3	4			5	6	7
			स्वीकृति संख्या (1)	दिनांक (2)	राशि (3)			
170130661.9 3	1861725.92		F.NO.47-1/2019-TS-1 F.NO.47-1/ 2019-TS-1	21-06-19 28-08-19	13150000 8800000	193942387. 9	153469656.3	40472731.53
170130661.9 3	1861725.92	कुल			219500000	193942387. 9	153469656.3	40472731.53

अनुदानों का घटक वार उपयोग:

अनुदान सामान्य	अनुदान – वेतन	अनुदान – पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण (सामान्य श्रेणी)	कुल
.	-	153469656.3	153469656.3

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (i) नकदी/बैंक में : 40472731.53
- (ii) असमायोजित अग्रिम : शून्य
- (iii) कुल : रु. 40472731.53



प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्टरों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम/नियम /स्थायी निर्देश (अधिनियम/नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों/खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों/संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों को देखने, आस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम/नियम/स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा-निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन/लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी हैं।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – बी [नियम देखें 256 (2)] उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप

- प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2019–20 के दौरान संस्थान के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा रु 6,04,977.45 ऋण के अतिरिक्त स्वीकृत किए गये। जिसमें रु. 6,04,977.45 का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे मंजूरी प्राप्त हुई थी, और शेष राशि रु. शून्य अप्रयुक्त रही इसे अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान—सहायता से देय ऋण की ओर समायोजित किया जाएगा।
- प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के आधार पर ऋण मंजूर किया गया था, वे पूरी तरह से पूर्ण की गई हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

प्रयोग हेतु जांच के प्रकार –

1. आंतरिक अंकेक्षण

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए

[नियम देखें 238(1)]

वर्ष 2019–20 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र—अनावर्ती अनुदान—पूंजीगत सम्पत्तियों का सृजन—अनुसूचित जाति श्रेणी

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : अनावर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2019–20 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (i) नकदी / बैंक में : (1,35,54,076.95)
 - (ii) असमायोजित अग्रिम : 0.00
 - (iii) कुल : (1,35,54,076.95)
4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

अनुदान की अवधी राशि प्राप्त की (आकड़े सरल क्र. 3(3) अनुसार)	उस पर व्याज अर्जित किया गया	सरकार को वापस किया व्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	कुल उपलब्ध धनराशि (1 + 2 – 3+ 4)	कुल व्यय	अंतिम शेष (5–6)
1	2	3	4	5	6	7
(13554076.95)	360334.05	F.NO.47-1/2019-TS-1 F.NO.47-1/2019-TS-1	21/06/19 28/08/19	1250000 800000 (11143742.9)	29703804.45	(40847547.35)
(13554076.95)	360334.05			2050000 (11143742.9)	29703804.45	(40847547.35)

अनुदानों का घटक वार उपयोग:

अनुदान सामान्य	अनुदान – वेतन	अनुदान – पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण (अनु. जाति श्रेणी)	कुल
.	-	29703804.45	29703804.45

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (i) नकदी / बैंक में : (40847547.35) सामान्य पूंजी अनुदान से
- (ii) असमायोजित अग्रिम : शून्य
- (iii) कुल : रु. (40847547.35)



प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्टरों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम/नियम /स्थायी निर्देश (अधिनियम/नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों/खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों/संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों को उपलब्धियों को देखने, आस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम/ नियम/स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा-निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन/लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी हैं।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12— बी

[नियम देखें 256(2)]

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप

- प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2019–20 के दौरान संस्थान के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा रु 1,17,092.41 ऋण के अतिरिक्त स्वीकृत किए गये। जिसमें से रु. 1,17,092.41 का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे मंजूरी प्राप्त हुई थी, और शेष राशि रु. शून्य अप्रयुक्त रही इसे अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान–सहायता से देय ऋण की ओर समायोजित किया जाएगा।
- प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के आधार पर ऋण मंजूर किया गया था, वे पूरी तरह से पूर्ण की गई हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है:

प्रयोग हेतु जांच के प्रकार –

- आंतरिक अंकेक्षण

(एस. डी. गड़ेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गड़ेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

~~S. Jayaram~~

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12 – ए
[नियम देखें 238(1)]

**वर्ष 2019–20 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र—अनावर्ती
 अनुदान—पूंजीगत सम्पत्तियों का सृजन—अनुसूचित जनजाति श्रेणी**

1. योजना का नाम : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
2. आवर्ती या अनावर्ती अनुदान : अनावर्ती
3. वित्तीय वर्ष 2019–20 की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (i) नकदी / बैंक में : (77,34,064.98) ऋण राशि प्रतिदेय
 - (ii) असमायोजित अग्रिम : 0.00
 - (iii) कुल : 77,34,064.98
4. प्राप्त अनुदान, खर्च व्यय और समापन शेष का विवरण : (वास्तविक)

अनुदान की अवधी राशि प्राप्त की (आकड़े सरल क्र. 3(3) अनुसार)	उस पर व्याज अर्जित किया गया	सरकार को वापस किया व्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध धनराशि (1 + 2 – 3 + 4)	कुल व्यय	अंतिम शेष (5–6)
1	2	3	4			5	6	7
(7734064.98)	180167.02	NIL	स्वीकृति संख्या (1)	दिनांक (2)	राशि (3)	(6553897.95)	14851902.23	(21405800.18)
(7734064.98)	180167.02		F.NO. 47-1/2019-TS-1 F.NO. 47-1/2019-TS-I	21-06-19 28-08-19	600000 400000	(6553897.95)	14851902.23	(21405800.18)

अनुदानों का घटक वार उपयोग:

अनुदान सामान्य	अनुदान — वेतन	अनुदान — पुंजीगत संपत्तियों के निर्माण (अनु. जनजाति श्रेणी)	कुल
.	-	14851902.23	14851902.23

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (i) नकदी / बैंक में : (21405800.18) सामान्य पूंजी अनुदान से
- (ii) असमायोजित अग्रिम : शून्य
- (iii) कुल : रु. (21405800.18)



प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के साथ अनुदान मंजूर किए गए थे, वे पूरी तरह से पूर्ण/या पूर्ण होने की कगार पर हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

- (1) मुख्य लेखा और अन्य सहायक खातों और रजिस्टरों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम/नियम/स्थायी निर्देश (अधिनियम/नियमों में उल्लेखित) में निर्धारित नियमों के अनुसार रखा गया है और उनकी नियत लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों/खातों में वर्णित लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ भी आंकड़ों का मिलान किया गया।
- (2) सार्वजनिक निधियों/संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, वित्तीय आदानों के अनुसार भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों को देखने, आस्ति निर्माण आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया गया है।
- (3) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम/नियम/स्थायी निर्देशों और योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हो।
- (4) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख प्राधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) लाभों को अपेक्षित लाभार्थियों तक बढ़ाया गया और केवल ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जहां इस योजना का संचालन अपेक्षित है।
- (6) इस योजना के विभिन्न घटकों पर खर्च अनुदान की योजना के दिशा-निर्देशों और नियमों और शर्तों के अनुसार अधिकृत अनुपात में था।
- (7) यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन (योजना का नाम), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्रदर्शन/लक्ष्य निर्धारित परिणाम अनुसार हासिल किए गए जिसके लिए निधि का उपयोग हुआ है तथा संबंधित अनुसूचियाँ वार्षिक खातों से जुड़ी हैं।

दिनांक:

स्थान: जबलपुर

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



जीएफआर 12— बी

[नियम देखें 256(2)]

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप

- प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2019–20 के दौरान संस्थान के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा रु 58,546.20 ऋण के अतिरिक्त स्वीकृत किए गये। जिसमें से रु.58,546.20 का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे मंजूरी प्राप्त हुई थी, और शेष राशि रु. शून्य अप्रयुक्त रही इसे अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान—सहायता से देय ऋण की ओर समायोजित किया जाएगा।
- प्रमाणित किया जाता है कि हमने खुद को संतुष्ट किया है कि जिन शर्तों के आधार पर ऋण मंजूर किया गया था, वे पूरी तरह से पूर्ण की गई हैं और यह देखने के लिए कि वास्तव में धन उपयोग वही हुआ जिस हेतु मंजूर किया गया था, हमने निम्न जांच का प्रयोग किया है :

प्रयोग हेतु जांच के प्रकार –

1. आंतरिक अंकेक्षण

(एस. डी. गडेकर)
उप कुलसचिव (वि. ले.)

(एस. डी. गडेकर)
कार्यकारी कुलसचिव

(संजीव जैन)
निदेशक



महानिदेशक लेखा संपरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति) नई दिल्ली का कार्यालय,

क्रमांक :एएमजी ॥/एसएआर—06/पीडीपीएम आईआईआईटीडीएमजे/2019—20/डी—252 दिनांक—21.12.2020

गोपनीय

प्रति,

निदेशक,
पं. द्वारका प्रसाद मिश्र
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी,
अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर
दुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट खमरिया,
जबलपुर – 482005

विषय: पं. द्वारका प्रसाद मिश्र, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर के वर्ष 2019—20 के वार्षिक लेखाओं पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

1. कृपया इस पत्र के साथ संलग्न वर्ष 2019—20 हेतु पं. द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुरके लेखों पर पृथक लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त करें। आपसे अनुरोध है कि संसद के समक्ष रखे जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि एस.ए.आर. एवं लेखा संपरिक्षित लेखों को अधिशासी मंडल द्वारा अंगीकृत कर लिए गए हैं।
2. कृपया उक्त प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने की तिथि सूचित की जाए एवं मुद्रित सामग्री की दो प्रतियां अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ उपलब्ध कराई जाए। कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि विगत एसएआर वर्तमान एसएआर के साथ या उससे पहले प्रस्तुत किया जाये। इस हेतु एक वचन पत्र बनाया जाये।
3. यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रबंध पत्र संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जावे।
4. कृपया प्राप्ति की पावती दें।

संलग्न: 1. पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं अनुलग्नक
2. प्रबंध पत्र

भवदीय

उप निदेशक केन्द्रीय



पं. द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर के लेखों पर
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1. हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के भाग 19(2) के तहत पं. द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर के 31 मार्च 2020 की स्थिति में आय एवं व्यय विवरण एवं प्राप्तियां तथा भुगतान की संपरीक्षा की। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व जबलपुर के प्रबंधन का है। इन वित्तीय विवरणों पर हमारी संपरीक्षा के आधार पर अपना अभिमत देना हमारा उत्तरदायित्व है।
2. इस पृथक लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा वर्गीकरण प्रचलित सबसे अच्छी लेखा प्रथाओं/लेखाओं के मापदंड एवं प्रकटीकरण नियमों का अनुपालन आदि को ध्यान में रखते हुए की गई टिप्पणी निहित है। लेखों में निहित वित्तीय व्यवहारों पर विभिन्न कानूनों, नियमों, विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन बाबत एवं कुशलता—सह—कार्यप्रदर्शन इत्यादि पहलुओं, यदि कोई हों, पर लेखा परीक्षा टिप्पणी का निरीक्षण प्रतिवेदन/सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से प्रतिवेदित किया जाता है।
3. हमने भारत में सामान्यतः प्रचलित एवं मान्य लेखा संपरीक्षा मानकों के अनुसार लेखा संपरीक्षा की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम इस तरह से योजना बनाकर लेखा संपरीक्षा करें कि इस बात का तर्कसंगत आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन से मुक्त है। रकमें/राशियों एवं वित्तीय विवरणों में दिए गए प्रकटीकरण के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों की, नमूना आधार पर जांच किया जाना लेखा संपरीक्षा में शामिल है। उपयोग किए जा रहे लेखांकन सिद्धांतों एवं प्रबंधन के महत्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करना भी लेखा संपरीक्षा में शामिल है, साथ ही समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी इसमें शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी राय या अभिमत हेतु हमारी लेखासंपरीक्षा एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध कराती है।
4. हमारी लेखा संपरीक्षा के आधार पर हम प्रतिवेदन देते हैं कि—
 - (i) हमें समस्त सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं, जो कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार लेखा संपरीक्षा हेतु आवश्यक थे।
 - (ii) इस प्रतिवेदन में दर्शित तुलन पत्र, आय—व्यय खाता एवं प्राप्ति तथा भुगतान खाता, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 29—04 / 2012—आईएफडी दिनांक 17.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही बनाए गए हैं।
 - (iii) लेखाबहियों एवं अन्य अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जांच के परिप्रेक्ष्य में, हमारी राय में संस्थान द्वारा इनका यथोचित संधारण किया गया है।



(iv) हम आगे यह भी प्रतिवेदन देते हैं कि :—

अ— तुलन पत्र

1 निधियों का उपयोग

1.1. वर्तमान देयतायें एवं प्रावधान (अनुसूची 3) —रु 68.49 करोड़

इसमें रु 43.37¹ करोड़ का आंतरिक कोष से ऋण (सहायता अनुदान की कमी को पूरा करना) शामिल हैं। उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा अपने पत्र दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 के माध्यम से CFI's को सलाह दी गयी है कि IRG / कॉर्पस फंड को अनुदान में कमी के मामले में इससे होने वाले व्यय के अनुरूप डेबिट किया जाना चाहिए। इस प्रकार, एमएचआरडी के पत्र में निहित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान देयता (आंतरिक कॉर्पस से ऋण) के रूप में अनुदान की कमी का वर्णन गलत है। इसके परिणामस्वरूप रु 43.37 करोड़ की चालू देयतायों का विवरण अधिक है और उतनी ही राशि का कॉर्पस / कैपिटल निधि का विवरण कम है।

ब. आय एवं व्यय खाता

1. आय

1.1 निवेश से आय (अनुसूची—11)—रु 2.37 करोड़

इसमें बैंक में सावधि जमा (एफडीआर / टीडीआर) पर अर्जित 2.37करोड़ रुपये ब्याज शामिल हैं स केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों (CHEIs) के लिए वित्तीय विवरणों के संशोधित प्रारूप के अनुसार एमएचआरडी द्वारा जारी निर्देशानुसार वित्तीय विवरणों के संकलन के लिए सावधि जमाओं पर अर्जित आय (निर्धारित / अक्षय निधि के अलावा) को निवेश से आय (अनुसूची—11) में न दर्शाकर, अर्जित ब्याज के तहत (अनुसूची –12) में दर्शाया जाना आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप रु 2.37 करोड़ से निवेश से आय की अधिकता हुई और अर्जित ब्याज में कमी हुई।

स— सामान्य

सेवानिवृत्ति के लाभों के प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं किए गए हैं जो लेखांकन मानक—15 का उल्लंघन है।

¹वर्तमान वर्ष रु 15.87 करोड़ + पूर्व वर्ष रु 27.50 करोड़



द— अनुदान सहायता

वर्ष के दौरान, संस्थान को ₹ 26.10² करोड़ की अनुदान राशि प्राप्त हुई। इसके अलावा, इसमें पिछले वर्ष के ₹ 16.98 करोड़ का बकाया था और ₹ 0.31 करोड़ की जीआई पर अर्जित ब्याज प्राप्त हुआ। इस प्रकार ₹ 4.39 करोड़ रुपये के कुल उपलब्ध निधि में से संस्थान ने वर्ष के अंत में अनुपयोग राशि को छोड़कर कुल उपलब्ध धन का पूरी तरह से उपयोग किया। संस्थान ने जीएफआर के अनुसार सरकार को राशि प्रतिदाय करने के बजाय जीआईए पर प्राप्त ब्याज का उपयोग किया।

इ. प्रबंध पत्र

ऑडिट रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारी/सुधारात्मक कार्वाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से निदेशक, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के ध्यान में लाया गया है।

- (v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दी गई हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन हम प्रतिवेदित करते हैं कि इस प्रतिवेदन में दर्शित तुलन पत्र, आय-व्यय विवरण एवं प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा पुस्तकों से मिलते हैं।
- (vi) हमारी राय में एवं हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर समर्त वित्तीय विवरण, जिन्हें लेखांकन नीतियों एवं लेखा पर टीपों सहित देखा/पढ़ा जाए एवं उपरोक्त वर्णित मत्त्वपूर्ण तथ्यों तथा अन्य मामले जिन्हें इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट में दर्शाया गया है, के अध्यधीन, सामान्यतः भारत में प्रचलित एवं मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं—

अ. जहां तक कि 31 मार्च 2020 को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर की गतिविधियों के तुलन पत्र से संबंधित है, और

ब. जहां तक कि इस दिनांक को समाप्त वर्ष को आय-व्यय खाते में दर्शित कमी से संबंधित है।

भारत के महालेखाकार के लिए एवं उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :

लेखा संपरीक्षा महानिदेशक (केन्द्रीय प्राप्तियां)

²₹ 23.60 करोड़ (आवर्ती) + ₹ 2.50 करोड़ (अनावर्ती)



परिशिष्ट

1. आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली की पर्याप्तता:

संस्थान की आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म द्वारा आयोजित की गई थी। संस्थान का अपना आंतरिक ऑडिट नियमावली नहीं है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्न कारणों से अपर्याप्त पाई गई :—

i) अनुपालन ऑडिट आपत्तियों के प्रति प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं थी क्योंकि 2006–2007 से 2017–18 (02 / 2018) तक की अवधि से संबंधित 29 पैरा लंबित थे।

ii) पिछले एसएआर (2017–18) की टिप्पणियों के प्रति प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं थी क्योंकि पिछले एसएआर के कुछ बिंदुओं के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई अभी तक प्रबंधन द्वारा नहीं की जा रही है।

3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली—

वर्ष के दौरान अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

4. सामग्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली –

वर्ष के दौरान सामग्रीयों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

5. वैधानिक देयताओं के भुगतान में नियमितता –

एलआईसी प्रीमियम (रु. 21468/-) और वाणिज्यिक कर (रु. 26259/-) के भुगतान को छोड़कर वैधानिक देयताओं के भुगतान में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

परिष्ट लेखा परीक्षा अधिकारी / एएमजी- ॥